[श्री सूरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

अन्य उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए भी तिलहनों से खाद्य तेलों और अन्य तेलों के और अधिक प्रभावी ढंग से निष्कर्षण को सुसाध्यकर बनाने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the Motion was adopted.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 1991

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निर्धन व्यक्तियों को वित्तीय राहत देने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the Motion was adopted.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

THE FINANCIAL RELIEF TO INDIGENT PERSONS BILL, 1991

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निर्धन व्यक्तियों को वित्तीय राहत देने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the Motion was adopted.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (AMENDMENT) BILL, 1991

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the Motio was adopted.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

THE CONSTITUTION (AMENDMENT BILL, 1991 (TO AMEND ARTICLE 81

SHRI M. A. BABY (Kerala): Sir, beg to move for leave to introduce a Bil further to amend the Constitution o India.

The question was put and the Motio was adopted.

SHRI M. A. BABY: Sir, I introduc the Bill.

THE FINANCIAL RELIEF TO OLI PERSONS AND WIDOWS BILL, 1990—*contd.*

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री सुरेश पचौरी जी द्वारा यह है जो वृद्ध व्यक्तियों तथा विधवाओं के लिए वित्तीय राहत विधेयक, 1990 प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, समाज के जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं और विशेषकर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको इस प्रकार से राहत देने के लिए इनका विधेयक है। यह विधेयक पचौरी जी ने क्यों प्रस्तुत किया है, उसकी चर्चा विस्तार से उन्होंने अपने सारगर्भित भाषण में की है। इस विधेयक के जो उद्देश्य और कारण हैं उनका भी उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया है। सदन में इसी सत्र में बार बार चर्चायें उठी हैं कि हमारी बहनों के ऊपर, विधवाओं के ऊपर और कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं और नित्य इस सदन में या दूसरे सदन में चर्चायें उठती हैं। दूसरे ही दिन फिर

उसी प्रकार से अत्याचारी घटनायें हो जाती हैं । यह आवश्यक है कि बहुत से नियम भी, कानून भी हैं, अधिनियम भी हैं, लेकिन फिर भी या तो कहीं न कहीं उनका परिपालन नहीं हो पाता है और यदि कहीं परिपालन होता भी है तो जिन लोगों के हाथ में इन कानूनों को लागू करने की शक्ति है उन में या इच्छा शक्ति की कमी है या पूरी इच्छा से उसको लागू नहीं कर पाते हैं । इसलिए आये दिन इस प्रकार की घटनायें घटती रहती हैं। साथ साथ बहुत सी सामाजिक संस्थायें भी हैं, विधवा आश्रम भी हैं जहां पर हमारी बहिनों को जाकर, मजबूर होकर रहना पड़ता है । विधवा आश्रम के के लिए बहुत से कानून हैं। एक तो मेरा सुझाव यह है कि विशेष करके जो विधवा आश्रम हैं जहां जाकर हमारी बहिनों को शरण लेनी पड़ती है उनके संबंध में एक विस्तृत आयोग बैठाना चाहिए सरकार को कि वहां क्या कमी है, किस प्रकार की उनकी शिकायतें हैं । अक्सर उनके संबंध में चित्रण दूरदर्शन में दिखाया जाता है। उससे जानकारी होती है कि किस प्रकार से उनका वहां उत्पीड़न होता है, किस प्रकार से शारीरिक शोषण भी उनका वहां किया जाता है। साथ साथ उनसे ऐसे काम किये जाते हैं जिन कामों को करने की उनमें शक्ति नहीं होती । इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो विधवा आश्रम हैं उनकी क्या कार्य प्रणाली है, उनकी कार्य प्रणाली से हमारी बहिनों को कहां तक संतोष होता है, उसमें क्या कमियां हैं उनकी जानकारी करने के लिए सरकार को एक आयोग बैठाना चाहिए । जब आयोग की रिपोर्ट आ जाए तो जो हमारे राजनैतिक दलों के बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ बैठकर विचार विमर्श करने के बाद सरकार की ओर से एक ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे कि समाज के इस उपेक्षित और कमजोर वर्ग को राहत मिले।

दूसरा, जो वृद्ध लोग हैं, चाहे उनमें वृद्धायें हों या वृद्ध, इनको भी आज उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। उसका शायद कारण यह है कि हमारे यहां जो संयुक्त परिवार की परिपाटी थी वह धीरे धीरे खत्म हो रही है या कम हो रही है। यदि हमारे परिवार में कोई वृद्ध है तो कुछ लोग यह समझते हैं कि ये बेकार के व्यक्ति हैं, हमारे किसी काम के नहीं हैं। इसलिए उनका सम्मान नहीं किया जाता है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिए । हमारे संविधान में भी प्रावधान है, शायद अनुच्छेद 41 में, कि जो वृद्ध लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए या उनकी मदद करने के लिए अलग अलग प्रदेशों में कानून बनाये जा सकते हैं । बहुत जगह ऐसे कानून हैं भी । मेरे पास कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं । 1983–84 तक के आंकड़े मेरे पास हैं । इसके बाद हमको मिल नहीं पाए । इनमें भी जो कहीं कहीं पर डिपार्टमेंट आफ सोशल वेलफेयर की ओर से वृद्धों या विधवाओं को पेंशन देने के नियम, कानून और रूल्स बने हैं उनके अनुसार अधिकतर राज्यों में कहीं 60 रुपये प्रतिमाह कहीं 30 रु० प्रति माह और कहीं 50 रु० प्रतिमाह तक की पेंशन मिलती है । यह सोचना कि केवल इतना रुपया मासिक पेंशन देने के बाद इन वृद्धों लोगों को राहत मिलेगी, उचित नहीं है। जिस तरीके से आज मंहगाई हुई है। कीमतों में बढ़ोत्तरी हो रही है, जिस तरीके से रहन सहन के स्तर में थोड़ी अच्छाई आ रही है, तब इन सारी चीजों को देखकर भारत सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। यह सही है कि जो राज्य सरकारें हैं उनको अपने स्रोत से अपना जो उनका बजट है उसी स्रोत से इस संबंध में बजट में प्रावधान करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी राज्य सरकारें हैं जिनकी अपनी शक्ति नहीं है, अपनी आर्थिक स्थिति नहीं है । इसलिए मेरा सुझाव है कि ये जो विधवाओं और वृद्ध लोगों को पेंशन देने का प्रावधान है इसके संबंध में भारत सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और जो छोटे छोटे राज्य हैं विशेष रूप से उनको जो पेंशन राशि दी जा रही है उसमें वृद्धि का प्रावधान करना चाहिए।

हरियाणा का राज्य हमारे बगल में है। पिछली सरकार ने यह फैसला लिया था कि जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

नहीं लेकिन उनके सम्मान के लिए सरकार की ओर से मासिक सहायता का प्रावधान किया जाएगा । लेकिन समाचार पत्रों से भी और वहां जाने पर भी हम लोगों को जानकारी हुई है कि वर्तमान सरकार जो वहां पर है वह उस पेंशन को खत्म करने की योजना बना रही है और बहुत से लोगों के पास नोटिस भी चली गयी हैं कि उनको पेंशन बंद कर दी गयी है । मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि हरियाणा के मामले में जो इस पेंशन के बारे में मैंने ध्यान आकर्षित किया है, जो पेंशन की योजना पिछली सरकार ने भी दी थी, उसके संबंध में सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए और अगर उस पेंशन में कोई कटौती की गई है, कमी की गई है या गरीब लोगों के नाम, काटे गये हैं तो पूर्ववत: उसी तारीख को स्थापित कर देने चाहिएं ।

चौथा ,मेरा एक सुझाव यह है कि एक भूतलिंगम कमेटी बनी थी इस सिलसिले में और उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी । उस रिपोर्ट के संबंध की अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ? उनमें बहुत सी संस्तुतियां थीं । मेरी जानकारी के अनुसार केवल एक संस्तुति को छोड़कर उनकी और कोई संस्तुति लागू नहीं की गई है । तो मैं यह भी चाहूंगा कि जो भूतलिंगम कमेटी की रिपोर्ट वृद्ध लोगों के लिए, समाज के उपेक्षित वर्ग के लोगों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए है, उसके संबंध में भी सरकार देखने का ध्यान करेगी ।

दूसरे प्लानिंग कमीशन ने एक सब-ग्रुप बनाया था । इस सिलसिले में उनकी कुछ सस्तुतियां हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि—

Sub-group appointed for recomending proposals for the welfare of the aged in the Seventh Plan had suggested: (1) To frame a national policy for the aged; (2) setting up council on ageing; (3) providing services to the elderly in both rural and urban areas; (4) covering all the destitute old under the old-age pension scheme; (5) promoting voluntary efforts; (6) having a national survey to identify the problems and needs of the aged and utilising the aged for national development.

प्लानिंग कमीशन ने जो सब-ग्रुप बिठाया था, उसने इन संस्तुतियों को कर रखा है और काफी विचार-विमर्श के बाद बहुत सी मीटिंग्स करने के बाद लोगों से सलाह-परामर्श करने के बाद और भारत सरकार की इस संबंध में जो पहले रिपोर्टस हैं, उनको देखने के बाद प्लानिंग कमीशन के सब-ग्रुप ने अपनी सस्तुतियां दी हैं । मैं चाहूंगा कि यदि इन संस्तुतियों को कार्यान्वित किया जाए, तो निश्चित ही इस वर्ग का, जिसके लिए मेरे विद्वान सदस्य श्री सुरेश पचौरी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, इनको लाभ मिलेगा ।

अंत में मैं एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करुंगा कि जो वृद्ध लोगों के लिए बहुत से होम्स फार एजिड होते हैं, जो वृद्ध लोग हैं या इस तरीके के जो ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनके लड़के बाहर रहते हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है, या किन्हीं कारणों से उनको अपने परिवार से विरक्ति हो गई है, तो ऐसे भी संस्थान जो इस प्रकार के गृह को चलाते हैं, उनके संबंध में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनकी स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिएं ।

मैं एक-दो अन्य बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । आप जिस तरीके से हमारे देश के प्रधान मंत्री, वह भी काफी वृद्ध हैं, 95–96 वर्ष के हो गये हैं, जिस तरीके से उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई है—मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि उनकी आयु भी 96 वर्ष की है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : भारत रत्न का उससे क्या संबंध है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं एज की बात कर रहा हूं । उनकी आयु 96 वर्ष की है । तो वह बहुत उचित नहीं था ।

दूसरे एक स्पेशल प्रोटैक्शन ग्रुप का विधेयक आने वाला है। उसमें भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो भूतपूर्व प्रधान मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है और उसमें यह भी कहा गया है कि जो सुरक्षा का उपयोग न करना चाहें, वह इसके लिये इंकार कर सकता है। लेकिन उसमें इस बात की भी चर्चा है कि प्रधान मंत्री के पद से हटे यदि पांच वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनके लिये किसी प्रकार की सुरक्षा उस अधिनियम के तहत नहीं की जायेगी।

तो मैं इसलिए इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि हमारे देश में आज भी ऐसे दो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनकी आयु 94-95 वर्ष के ऊपर हो गई है। एक तो श्री मोरारजी भाई और दूसरे श्री गुलजारी लाल नंदा जो इस देश के दो बार प्रधान मंत्री रह चुके हैं। मेरी समझ में यदि यह प्रावधान उसमें न होता, तो अच्छा होता और मोरारजी भाई और गुलजारी लाल नंदा, मैं समझता हूं कि कभी भी सुरक्षा नहीं लेते हैं। लेकिन यह बात मैं इस लिये कह रहा हूं कि यह जो अधिनियम लाया गया है, उसमें भी इन वृद्धों का ख्याल नहीं किया गया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : **मालवीय जी**, जब वह अधिनियम आयेगा...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं वृद्धों की चर्चा कर रहा हूं। उनका जो विधेयक है, वह इसी से संबंधित है। तो मैं इस चीज की ओर ध्यान आकर्षित करके मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जब मंत्री जी जवाब देंगे तो कम से कम इनका जो विधेयक है सुरेश पचौरी जी का। उसको वह स्वीकार करेंगे और यदि नहीं करते हैं तो कम से कम इस प्रकार का आश्वासन देंगे कि जिनकी सुरक्षा के लिये, जिनकी भलाई के लिये यह विधेयक लाया गया है उनको लाभ पहुंचे।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं "वृद्ध व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय राहत की व्यवस्था विधेयक, 1990" जो कि हमारे परम मित्र सांसद् श्री सुरेश पचौरी जी ने पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, आये दिनों हमें इस देश की राजधानी दिल्ली के अखबारों में पढ़ने को मिलता है, कभी साउथ दिल्ली में और कभी ईस्ट दिल्ली में और कभी नार्थ दिल्ली में और कभी वेस्ट दिल्ली में, किसी वृद्ध दंपत्ति की हत्या करके उसकी संपत्ति को लूट लिया जाता है और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है। यह आये अखबारों की सुर्खियों की मेन खबर है। हम जब इस विधेयक को पारित करने के लिये विचार कर रहे हैं, उस वक्त जब ऐसी खबरें पढ़ते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि इतने वर्ष हो गये हमारे देश को आजाद हुये, पर हमारी मानसिकता में अभी तक ऐसा कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने घर के जो असली मालिक हैं, उनको हम मान-सम्मान नहीं दे पा रहे हैं? उप सभाध्यक्ष महोदय, हम तो बात कर रहे हैं साधारण वृद्धों की और साधारण विधवाओं की, कभी आपने देखा है लोकनायक भवन में जाकर कि किस तरह वह वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाईन में जाकर खड़ा रहता है और उसे उस कार्यालय का बैठा हुआ क्लर्क किस तरह दुत्कारता है, जिसकी आवाज पर किसी दिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद का कलैक्टर कांपता था, जिसकी आवाज पर किसी दिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद वायरलैस के माध्यम से अपने लोगों के पास खबरें भेजा करता था कि इतना बड़ा दुर्दांत वहस वतंत्रता सेनानी है जिसको उनकी भाषा में उन्होंने एक्स्ट्रीमिस्ट कहा था, आतंकवादी कहा था, उसको देखकर यह हमारे सरकारी अधिकारी, सरकारी कुर्सी और टेबल पर बैठे हुए क्लर्क किस तरह बदतमीजी से पेश आते हैं और उसके सामने सिगरेट का धुंआ छोड़ते हुए और उसे कैसे कहते हैं कि तुम्हें किसने परमिशन दी, तुम दफ्तर के

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

अन्दर घुस आए हो और यह क्या कागज कबाड़ इकठ्ठा करके ले आते हो, उठाकर बाहर फैंक देते हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूं । कोई दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन कोई एक स्वतंत्रता सेनानी आकर अपने आंसू को न गिराकर जाता हो । हर रोज अपने दुखड़े वह रोते हैं । बिहार सरकार और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने जब उनके नाम रेकमेंड किए हैं, उनको आज तक हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन नहीं दे सके । हमारे मित्र ने एक अच्छा विचार लाया है कि हमारे देश के वृद्धों और विधवाओं को पेंशन मिलनी चाहिए । यह विचार आज का नहीं है, यह युग-युगांतर से यह आह समाज की जो है, यह आवाज जो समाज की है यह उठी है । यह झंडा सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने लहराया था जब उन्होंने कहा था कि विधवाओं को फिर से स्थापित करने के लिए उनके विवाह कर देने चाहिएं । राजा राममोहन राय का बड़ा विरोध हुआ था । उन्होंने क्या किया था उनकी एक असिस्टेंट के लिए उनका विवाह करने के लिए बात कही थी । आज हम ऐसे कानून बनाकर भी, हम ऐसी प्रथा चलाकर भी हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सके हैं क्योंकि ऐसे कोई कानून नहीं हैं । आज वह दर-दर की ठोकर खाती हैं । वही राजा रामोहन राय का झंडा जो फहराया हुआ था, उस झंडे को ले कर जब विद्यासागर गली-गली घूमें और प्रचार किया ,उन्हें भी लोगों ने दुत्कारा ।

3.00 P.M.

उनकी समाज में बहुत भर्त्सना हुई, पर उन्होंने इस आवाज को बुलंद किया था । आज हम इस संसद में बैठकर जब इस पर विचार कर रहे हैं तो हमें सिर्फ पेंशन पर ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें उनको उनके रिहैबिलिटेशन के लिए सारी व्यवस्था करनी चाहिए । महोदय, मैं सिर्फ कंपेअर कर रहा था कि आज 45 साल हो गए पर हम स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन नहीं दे सके हैं । उपाध्यक्ष महोदय, अगला साल 1992 सन् 1942 के गांधीजी के इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के 50वें साल के रूप में मनाएंगे । अब अगर आप थोड़ा-सा विचार करें उन लोगों के बारे में जिन्होंने गांधीजी के कहने पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, जेल गए और पुलिस की बेंत खाए, अगर आज उनसे पूछें कि क्या तुमने कभी कल्पना की थी कि आजाद भारत में लोक नायक भवन में जिस दफ्तर जाओगे तो तुम्हें इस तरह धक्के खाने होंगे और पेंशन नहीं दी जाएगी । उपसभाध्यक्ष महोदय, यह शर्म की बात है कि आज भी करीब साढ़े 12 हजार स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनकी पेंशन केस पेंडिंग पड़े हैं और उन पर विचार हो रहा है । रोज क्लर्क उनको इस टेबिल से उस टेबिल तक घुमाता रहता है । आज तक उन पर विचार नहीं हुआ है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I would draw the attention of the hon. Minister to what Mr. Ahluwalia is referring to.

SHRI S. S. AHLUWALIA: This is not her subject.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): He is talking about freedom fighters' pension. It conecrns the Home Ministry. But I will certainly take note of it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is regrettable. If this is the situation that freedom fighters have to wait in queue...

SHRIMATI MARGARET ALVA: It is very unfortunate.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): On the contrary, you should see that pension reaches them and they should not have to come.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I will bring it to the notice of the Home Ministry.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमने सरकारी पेंशन देने के लिए जन अदालत बनायी है । उस खुली अदालत में पेंशन का फैसला होता है । क्यों नहीं सरकार फैसला लेती कि लोक अदालत बनाए और यहां दिल्ली से मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री के

स्टाफ को लेकर स्टेट में जाएं और वहां के गृह मंत्री की अनुशंसा के साथ वहीं स्वतंत्रता सेनानियों को स्पाट पर पेंशन का फैसला करें । अगला साल हम 50वां साल मनाएंगे, लेकिन अभी तक हम उन्हें पेंशन नहीं दे सके हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता सेनानियों को जिस वक्त पेंशन देने की घोषणा की गयी थी, उस समय उनके मन को चोट पहुंची थी, उन्होंने उसे ठुकरा दिया था कि हमने पेंशन लेने के लिए आजादी की लड़ायी नहीं लड़ी । उन्होंने उस वक्त यह कहा था, मगर आज मजबूरियां इतनी हैं, तकलीफें इतनी हैं, मंहगाई इतनी है कि उस पेंशन के बगैर गुजारा भी नहीं चलता है । आज जाइंट फैमिली का कंसेप्ट हमारे देश में आहिस्ता-आहिस्ता लुप्त होता जा रहा है । यह जाइंट फैमिली का कंसेप्ट आज खत्म हुआ है, परिवार टूटा है, मियां-बीवी साथ रहना चाहते हैं । महोदय, यह मारुति कल्चर है जिसमें मम्मी, पापा, बच्चे, आया और कुत्ता बैठ सकते हैं । वहां मां-बाप के लिए जगह नहीं है । इस कल्चर में आज हम रह रहे हैं । यह कल्चर हमारे समाज में किस तरह घुन लगा रही है, यह सोचने की बात है । इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है । हम टी०वी सीरियल देखते कि हैं कभी जाइंट फैमिली हुआ करती थी और दादा-दादी भी साथ रहा करती थी । आप आज किसी बच्चे से पूछिए कि तुम्हारी दादी कहानी सुनाती है तुम्हारी नानी कहानी सुनाती है ? बच्चे कहते हैं दादा कौन है दादी कौन, सुनाना कौन है, नानी कौन हैं, हम नहीं जानते ? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें ध्यान में लाने की जरूरत है और जब हम इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो इन बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है । कि यह मामला सिर्फ पेंशन तक सीमित नहीं है कि हम इतनी पेंशन देंगे । उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर आप कभी वृन्दाबन जायें तो वहां बंगाल, आसाम और उड़ीसा की विधवायें मिलेंगी और आपको आश्चर्य होगा कि वहां जो बेंक्स हैं, उनमें इन विधवाओं के बैंक अकाऊंटस हैं, करोडों की एफ० डी०आर० हैं । वह मर गयी हैं और वह बैंक वाले उस रुपए का क्या कर रहे हैं ? यह रुपया किसी इंडस्ट्रियल असिस्टेंस में जा रहा है या और कहीं एडवांस में जा रहा है, वह रुपया जोकि विधवाओं के अकाऊंट्स या उनके एफ० डी०आर० से आता है । महोदय, ये विधवायें बड़े-बड़े परिवार से आती हैं । आप पांडिचेरी में चले जायें, वहां अरोविल आश्रम में विधवायें मिल जाएंगी । और बहुत बड़े-बड़े परिवार की विधवायें, जो लाखों की संपत्ति लेकर आती हैं, लाखों के एफ०डी०आर० लेकर आती हैं वे अगर मर जाती हैं तो उनका कोई क्लेमेंट नहीं है, कोई बिल नहीं है और अगर बिल है भी तो उस पैसे को मांगकर कोई वापस लेने वाला नहीं है । उपसभाध्यक्ष महोदय से पैसे का उपयोग इस विधेयक के माध्यम से उनके वैलफेयर के लिए करने की जरूरत है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत सारे क्राइटेरियाज बने हैं कि अगर पेंशन दी जाएगी तो मैं जैसे फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहा था, फ्रीडम फाइटर्स भी वृद्ध हैं, पर जब आप कोई वृद्धा पेंशन देते हैं तो आप कहते हैं कि आप आलरेडी एक पेंशन ले रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन है, इसलिए आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगी । इस क्लाज को इसमें से निकाल देना चाहिए क्योंकि उसको जो फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन मिल रही है, वह एक सम्मान है और यह जो आप उसको वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, यह उसका गुजरान है और गुजारन व सम्मान में फर्क है । । इसलिए फ्रीडम फाइटर्स को डबल पेंशन मिलनी चाहिए, अगर वह वृद्ध है—वृद्ध तो होगा ही क्योंकि 50 साल हो चुके हैं भारत छोड़ो आन्दोलन को । तो ऐसे आदमी की फ्रीडम फाइटर्स की भी और वृद्धा पेंशन भी, दोनों मिलनी चाहिए, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए ।

महोदय, हमने बहुत सारे कानून बनाए हर जगह । स्कूल में एडमिशन हो अस्पताल में एडमीशन हो या डी०डी०ए० फ्लैट्स की प्रायारिटी लिस्ट हो या और भी बहुत सारी चीजों बनाई हैं पर उसमें हमने कहीं भी वृद्ध के लिए या विधवा के लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा है । हमें इस

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया]

पर गौर करने की जरूरत है क्योंकि मैंने पहले जैसा शुरूआत में अपने वक्तव्य में कहा कहा कि आये दिन हम जो देखते हैं कि दिल्ली में इतना क्राइम हो रहा है और खास कर के वृद्ध दम्पतियों के साथ हो रहा रहा है, इसको दूर करने की जरूरत है ।

और तो और, उपसभाध्यक्ष महोदय, कभी आप डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल या आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंस के ओ०पी०डी० काउंटर पर जाकर खड़े हो जाइये तो आप देखेंगे कि अगर किसी वृद्ध के साथ कोई यंग लड़का या लड़की उसके अटेन्डेंट के रूप में वहां नहीं आया हो तो वह शायद रोज चक्कर ही लगाता रहेगा—न उसकी पर्ची बन सकती है और न वह डाक्टर को दिखा सकता है । उपसभाध्यक्ष महोदय, इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए हर एक सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में वृद्धों के लिए अलग लाइन होनी चाहिए ।

डी०टी०सी० में एक वृद्ध आदमी नहीं चढ़ सकता है । अगर उसकी पॉकेट अलाऊ नहीं करती है तो वह कहीं नहीं पहुंच सकता है । डी०टी०सी० की बस महिलाओं के लिए अलग है और दूसरे पैसेंजर्स के लिए अलग है और उसमें जो क्यू रहता है, कभी आप खड़े होकर देखिए बोट क्लब पर, सब धक्का मारकर चढ़ जाते हैं और अगर कोई वृद्ध है तो उसकी कम से कम 6–7 बसें छूट जाती हैं, तब कहीं जाकर वह बस पर चढ़ सकता है । तो यह वृद्ध, जो हमारे मुल्क की असली सम्पत्ति हैं, जिन्होंने आज का भारत संजोया है –आज का भारत जो हमारे सामने है, वह हमने नहीं बनाया है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है । आप का भारत जो हमारे हाथ में है, यह उनकी दी हुई सौगात है और उनके साथ जो ऐसी अवहेलना समाज में होती है, यह बड़ी निन्दनीय है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कहीं-कहीं तो ऐसा देखा जाता है कि आए दिन डावरी एक्ट के केस होते हैं कि बहू जल गई, पर यह कोई नहीं देखने जाता कि वह बहू सास को या ससुर को कैसे जलाकर मार रही है । इस पर विचार करने के लिए क्या कभी गौर किया गया ? वह बहू जब सास को दूध चाहिए तो उसको पानी पिलाती है, जब उसको फल चाहिए तो फल का छिलका खिलाती है। इस बात पर विचार करने के लिए भी कोई कोई एक्ट होना चाहिए और जब वह मां-बाप बहू से तंग होकर या अपने बेटे, जो कि घर जमाई बन गया है, उससे तंग होकर जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कौन है ? तब वे वापिस नहीं आते और दूसरे दिन अखबारों में यही छपता है कि वह वृद्ध दम्पत्ति मर गए, गाड़ी के नीचे कुचले गए या रात को लुटेरों ने आकर लूट लिया । वही बेटा-बहू आकर मार डालते हैं, कोई केस नहीं बनता और कोई पूछने वाला नहीं होता । महोदय, इनको इस तरह की मदद देने की जरूरत है । फिर यह जो पेंशन शुरू करें, तो यह पेंशन कहीं-नहीं देखा गया है, अखबारों में में आम पढ़ने को मिलता है कि एक शराबी लड़के ने अपने मां-बाप से शराब पीने के लिए पैसे मांगे और नहीं देने पर मां को पटक कर मार डाला, उसका सिर फूट गया या बाप मर गया, या उसको हैमरेज हो गया और मर गया या उसको चाकू घोंप दिया । ऐसी खबरें रोज अखबारों में छपती हैं। तो उपसभाध्यक्ष जी, इनको यह पेंशन दी जाए जो ऐसे लायक लोग हैं । हर गांव और जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर और राज्य स्तर पर होस्टल बनने चाहिए, ओल्डएज होम्स बनने चाहिए और वहां इनको हर तरह की फैसिलिटी दी जाए । वहां इनको मैडिकल एड दी जाए, वहां इनको रीडिंग मैटिरियल दी लाईब्रेरी जाए अगर वहां वह पूजा-पाठ करना चाहते हैं तो उसके बंदोबस्त किया जाए और उसके साथ पेंशन दी जाए । क्योंकि रिहैबिलिटेशन की बंदोबस्त, मैं समझता हूं कि यह हमारा सब का फर्ज है, जो आज आज वर्तमान भारत के साथ जुड़ा हुआ है और वर्तमान भारत का भविष्य निर्माण कर रहे हैं हम तब तक भारत का निर्माण नहीं कर सकेंगे, जब तक हम अपने पूर्वजों को, अपने बुजुर्गों को मान-सम्मान नहीं देंगे । मैं यही कहते हुये आपकी इजाजत चाहता हूं । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Shrimati Satya Bahin. Not present. Shri Ish Dutt Yadav... Not present. Shri Ranjit Singh.

श्री रणजीत सिंह (हरियाणा) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हमारे माननीय साथी श्री सुरेश पचौरी जी ने जो बिल बुजुर्गों और जरूरतमंद विधवाओं के लिए मूव किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पहले जो सदस्य बोले हैं, उन्होंने भी इस पर काफी विस्तार से प्रकाश डाला और अच्छी बातें कहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह एक ऐसा बिल है जिस पर हम बहस कर रहे हैं या जिसके समर्थन में हम सब बोल रहे हैं। पर यह आज तो बुजुर्गों का है और हमारा कल है। इस स्टेज पर हर आदमी को निकलना है। जैसा मेरे से पहले मेरे दूसरे साथी ने जिक्र किया कि पूरा सोशल सैट-अप बदल गया है। पहले हमारे परिवार जोइंट होते थे, जिसमें दादा-दादी, भाई तथा तीसरी पीढ़ी तक के लोग भी रहते थे और आजकल परिवार का जो सैट-अप बन गया है वह अकेले एक छोटी फैमिली में आ गया है। शादी होते ही सब बच्चे अलग हो जाते हैं। उन्हें अपने दादा की, दादी की या जो बुजुर्ग हैं, उनकी तकलीफ का, मैं समझता हूं कि नये बच्चों को जो अगली कम्प्युटर जनरेशन आ रही है उन्हें इस बात का बिल्कुल ही इल्म नहीं है। तो इस सिलसिले में यह समझता हूं कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि उन बुजुर्गों के लिए सिक्योरिटी मिले। बुजुर्गों का इस देश में क्या महत्व है, वह मैं एक छोटे सा हूं स्टेंस आपको कोट करके कहता हूं।

जैसे अमरीका में लास एनजिलीस फ्लोरिडा में जाते हैं तो वहां डिजनीलैंड है। मेरे ख्याल में जहां बहुत से माननीय सदस्य अवश्य गए होंगे। ऐसा ही केनेडा में डिजनीलेंड है, जहां हमारे चंडीगढ़ के चीफ जस्टिस हैं तिवाना साहब। उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी के अपने लैक्चर में बताया था कि जब वे केनेडा में म्यूजियम को देखने गए थे तो उनके साथ वहां उनकी बेटी भी, उनके दामाद और उनके बच्चे साथ थे। जब वे लाईन में खड़े होकर टिकट लेने लगते हैं तो वहां बच्चों का, उनके दामाद और बेटी के टिकट का दस डालर फी चार्ज किया जाता है और जब तिवाना साहब का नम्बर आया, जो बुजुर्ग आदमी थे तो उनसे जब चार्ज करने की बात आयी तो, उनसे दस डालर के बजाय केवल दो डालर चार्ज किया। तो जस्टिस तिवाना कहने लगे कि :

"Why this difference ? Why are you charging only two dollars for me whereas you have charged ten dollars for the other person?" Then the reply was "You are a senior citizen of the State. That is why we are charging you only two dollars."

तो मेरे कहने का मतलब है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि वह हमारे सीनियर सिटीजंस हैं और उनके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जब यह एक प्रजातांत्रिक देश हैं, पढ़े-लिखे बुद्धिजीवियों का देश है जिसमें ऐसा करना, मैं समझता हूं यह आवश्यक ही नहीं, बहुत ही निहायत जरूरी है। दूसरी बात मैं आपसे यह कहूंगा कि बुजुर्गों में कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं जो जब रिटायरमेंट पर आते हैं तो वे एक्सटेंशन के लिये एप्लाई करते हैं। एक एक्सटेंशन मिलता है तो उसके बाद दूसरे एक्सटेंशन के लिये एप्लाई करते है। फिर दूसरे के बाद तीसरे के लिये एप्लाई करते हैं। ऐसा वे क्यों करते हैं ? ऐसा वे इसलिये करते हैं क्योंकि उनको अपना भविष्य अच्छा नहीं दिखाई देता। वे समझते हैं कि रिटायर हो जाने के बाद घर में उनकी इज्जत नहीं होगी, बच्चों में इज्जत नहीं होगी। इसलिये वे रिटायर होने पर चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल जाये। जब उन्हें दूसरा एक्सटेंशन मिलता है, उस समय उनकी जो अवस्था होती है, उसके बारे

[श्री रणजीत सिंह]

में मैं कहना चाहता हूं कि—

Even one leg is in the grave, and the second is on the banana skin. Although he has retired, still, he would not like to be retired.

हम ऐसी सोसायटी में, ऐसे कंसेप्ट में रह रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जिस देश की फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हों, जहां बिलो पोवर्टी लाइन 80 परसेंट लोग रह रहे हों, जब हम मोहताज हैं हर तरीके से, ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने आपको संभाल पायें।

मुझ से पहले मालवीय साहब ने जिक्र किया हरियाणा में ओल्ड ऐज पेंशन का। मैं भी उस सरकार में मिनिस्टर था। यह रिकार्ड की बात है कि हरियाणा में 100 रुपये पेंशन हर ऐसे आदमी को जिसकी उम्र 65 वर्ष हो गई है, देने का प्रस्ताव हमारी कैबिनेट ने पास किया था। जब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो कैबिनेट के तीन मेंबर्स की एक कमेटी बनी थी, यह डिसाइड करने के लिये कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? तो चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म यह था कि अगर इसमें कमीशन बनेंगे तो बहुत देर लगेगी तो इस प्रक्रिया में ज्यादा समय न लगे इसलिये उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट उठा लो और पटवारी से पूछकर जिसकी ऐज 65 साल हो गई है उसे पेंशन रीलीज कर दो। आप विश्वास नहीं करेंगे 26 दिन में इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया और हर गांव में पेंशन मिलनी शरू हो गई। मैं यह नहीं कहता कि कितनों को मिली, कितनों को नहीं मिली। मैं भजनलाल जी के खिलाफ भी नहीं हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कि इस तरह हमने एक नया प्रिसीडेंट चलाया जिसे दूसरे स्टेट्स को भी फौलो करना चाहिये था। उसे अब हरियाणा में कुछ हद तक रोका गया। मैं कुछ फ़िगर्स नहीं दे सकूंगा कि कितने लोग इससे अफेक्टेड हुये हैं पर मैं समझता हूं कि यह बजुर्ग लोगों के लिये बहुत अच्छा प्रयास था और इसलिये सारे हाऊस को इस बात पर सहमत होना चाहिये कि जो वहां हुआ है उसे दूसरी स्टेटों में भी इंप्लीमेंट करना चाहिये और उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिये।

महोदय, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है वह जब रिटायरमेंट पर आता है तो उसे प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है और मां-बाप के मन में बच्चों के लिये इतना स्नेह होता है कि कोई भी बुजुर्ग जब सर्विस से रिटायर होता है तो अपने प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के रुपयों को बच्चों के मकान के लिये खर्च कर देता है। उसमें से वह अपने लिये कुछ भी नहीं रखता है और उसके बाद ऐसी दयनीय स्थिति उनकी होती है। तो मैं समझता हूं कि जहां ऐसा सोशल सैट अप है, वहां पेरेंट्स बच्चों के लिये इतना अफैक्शन रखते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिये जरूर हमें कुछ करना चाहिये।

हम अपने यहां देखते हैं कि यूरोप से जितने टूरिस्ट आते हैं चाहे वे दिल्ली में आयें या दूसरी जगह जायें, आपको उनमें ज्यादातर ओल्ड ऐज के आदमी मिलेंगे क्योंकि यूरोप की जो सोसायटी है उसमें जब बच्चे सैटल हो जाते हैं तो पेरेंट्स के लिये बच्चों के पास कोई टाइम नहीं होता। सब अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। कुछ उनका सोशल सैट अप ऐसा है कि बुजुर्गों के लिये उनके पास समय नहीं होता। ऐसे लोगों को वहां की सरकारें घूमने वगैरह के लिये कुछ कंसेशंस देती हैं और वे दूसरे देशों में घूमने के लिये निकलते हैं। मैं समझता हूं कि हमें भी अपने यहां इस चीज को लाना चाहिये।

मैं एक बात और कहूंगा कि हमें हर चीज हर जगह से मिल जाती है। हमें यूनिवर्सिटी भी मिल सकती है, कोचिंग मिल सकती है, हर जगह से एडवाईज मिल सकती है पर मैं आप

को बताता हूं कि एक कहावत है कि– nobody could beat the experiences.

जो बुजुर्ग हैं उनकी प्रजेंस ही हमारे लिये बहुत बड़ी चीज है। जिन्हें इतनी लंबी उम्र का तजुर्बा है, जिस आदमी आदमी 70 वर्ष का जिन्दगी को अनुभव किया है, दुनिया देखी है वह हमारे लिये महत्वपूर्ण है। श्रीमान चाइना में एक कहावत है "If you need a better advice, you consult old persons." मैं समझता हूं कि ऐसे सम्माननीय हमारे बुजुर्ग है कि उनके लिए खाली प्रस्ताव की ही बात नहीं होनी चाहिये, ऐक्ट बनने की बात ही नहीं होनी चाहिये, इसे सिंसियरली, ईमानदारी से इंप्लीमेंट करने के लिये भी सबको ध्यान देना चाहिये।

श्रीमन्, मैं थोड़ा सा जिक्र विडोज का भी करूंगा। विडोज की हमारे समाज में स्थिति बहुत ही दयनीय है। बहुत से बाल विवाह हो जाते हैं, छोटी उम्र में ही वे विडो हो जाती हैं। दूसरे लोग उन्हें कितना सम्मान देते हैं उसके बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन प्रेक्टिकल जो हम सोसाइटी में देखते हैं वह मैं आपको बता रहा हूं। एक घर में 25 साल की लड़की विधवा हो जाती है तो अगर वह मां बाप के घर जाती है तो भाई और भाभी उसे रखने के लिये संकोच करते हैं। ससुराल में रहती है तो उसके हस्बेंड की डेथ के बाद घर में यदि कोई शादी या अन्य फंक्शन होता है या घर में नई दुल्हन आयेगी तो उस वक्त उस औरत को हमारे समाज में आगे नहीं आने देते है। वह कहते हैं कि यह अशुभ है चाहे उसकी सबसे ज्यादा इज्जत रही है। जब इस तरह की बात हो तो विडोज के लिये भी हमें कुछ करना चाहिये जैसे ओल्ड ऐज के लिये हम कर रहे हैं।

इसके साथ ही मैं आपसे जिक्र करूंगा जैसा अहलुवालिया जी ने राजाराम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानन्द आदि का जिक्र किया जिन्होंने महिलाओं के लिये, विडोज के लिये बहुत कुछ किया है। स्वामी विवेकानन्द जी ने यह कहा है कि जिस समाज में नारी की प्रतिष्ठा नहीं होगी वह समाज या देश तरक्की नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूं कि जितने हमारे स्कालर थे, जितने हमारे विद्वान थे उनकी राय यही है कि हमें इस बात को समझकर उनके लिये सभी उपाय करने चाहिये। आज की चकाचौंध में ऐसी औरतों के लिये अपना जीवन बसर करना बहुत मुश्किल है। हमें कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिये जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इसके लिये हमें क्या प्रोविजन करने चाहिए, कैसे उनके लिये रास्ता निकालना चाहिये, इस पर सोचना चाहिये। ऐसी औरतों को समाज में स्थान देने के लिये जहां एक नई समझ पैदा करने की जरूरत है, वहीं मैं समझता हूं कि महिलाओं में आत्मविश्वास की भी जरूरत है। शिक्षा की वर्तमान कमी को दूर करने लिये व्यवस्था की जाये जिसके लिये शिक्षा को निशुल्क किया जाय।

इसके साथ ही राष्ट्र के निर्माण में भी निष्क्रिय शक्ति का उपयोग करने के लिये कार्यक्रम क्रियान्वित करने चाहिये। प्रजातंत्र में वर्तमान शासन व्यवस्था में महिला वर्ग के लिये सभी पोलिटिक्स पार्टियां कहती हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इतने परसेंट टिकट पार्टी में देंगे। सरकार बनेगी तो इतनी सीटें देंगे। लेकिन सरकार जब बनती है तो सरकार बनने के बाद इतना रिप्रजेंटेशन गवर्नमेंट सर्विस में या पोलिटिकल पार्टियों में कोई नहीं देता। हमारे दूसरे साथी भी कहते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि इसे इंप्लीमेंट करने की बात नहीं आई कि महिलाओं को रिप्रिजेन्टेशन किसी भी पार्टी ने दिया हो।

तो मैं ज्यादा लंबा भाषण न करते हुये यही कहूंगा कि मैंने जो सुझाव दिये हैं, जो मैं समझता हूं कि ठीक है, उन पर सरकार या कैबिनेट गौर से

[श्री रणजीत सिंह]

विचार करे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, "Old is gold", that is an old proverb "Old is bore", that is a new proverb. That is not main. I am telling the mood of the present-day society. Ageing in our society has been emerging as a social problem day by day. In our country we consider people who have crossed 60 years as aged people, old people.

According to 1981 census, the number of old people estimated was 4.3 crores. That was 6.2 per cent of the total population. By 2000 A.D. the number will be 7.5 crores and the percentage would be 7.6 of the total population. Where there is family support and family sympathy there are no problems. Where there is lack of family support and sympathy, the old people are facing physical, economical, social and emotional problems.

Sir, as far as the organised sector is concerned, after retirement they are getting pension, they are getting provident fund, they are getting gratuity. So there is no problem for these people in the organised sector after their retirement from service. But the main problem is with regard to the people in the unorganised sector which is a major sector in our society. For them, there is no pension. There is no gratuity. There is no provident fund. There are no welfare schemes. So the Government should think over what to do about these people in the unorganised sector. The Government should provide financial assistance. If there is no family support from the family members, these members should be admitted in the oldage homes and they should be provided free boarding lodging and every thing. In the old days this was not at all a problem. In those days the family ties were very strong. People used to respect the elders and there was devotion for the parents and people used to consider their duty towards parents as a sacred duty. But things have changed because of urbanisation, because of industrialisation. The joint family set up has been disintegrating and the problems are arising day by day.

In the Third and Fourth Five Year Plans, comprehensive schemes have been recommended for the old people. Even the Boothaligam Committee has drawn the attention of the Government to the welfare of the old people.

In this context, I would like to make some suggestions: (1) Almost all the State Governments and Union Territories are implementing the old age pension scheme. There is no doubt about it. This is nothing but an eye-wash. A very few people are getting it. (*Interruptions*). I am telling about all the State Governments. A very few people are getting it and that also a very meagre amount. The amount varies from Rs. 30 to 100 per month. At present there are nearly 50 lakh people getting yearly Rs. 227 crores. My suggestion is that every man or woman above 60 or 65 years should get invariably at least Rs. 300 per month. The Government may say because of the financial constraints, It is not possible for them to pay. Sir, I agree with them. But what about the retired employees? They are getting pension. They are getting provident fund. They are getting gratuity. For all these days they have enjoyed; and during their younger days they have enjoyed. Their children are in a better position. They are getting gratuity. Yet they are getting Rs. 1000 or Rs. 2000 or Rs. 3000 as pension per month. But what about the people in the unorganised sector? During their younger days, they have suffered a lot. Their children are not in a better position. Their health is also deteriorating. So these people are discriminated against. Don't discriminate against them. If there are financial constraints, pool the entire money. You are giving a meagre amount to one sector, the unorganised sector, and a large amount to the organised sector. Pool the entire amount and divide it by the number of people who are above 60 years of age. Let them get Rs. 100/- or Rs. 200/- or

Rs 300/- or whatever it is. Without any discrimination, you distribute the money to all the aged people.

My second point is regarding the encouragement to voluntary organisations. Voluntary organisations can do better in this sector. But, unfortunately, the grant given to voluntary organisation is very meagre. In the year 1990-91, only Rs. 88 lakhs was given as grant to voluntary organisations. It is a very meagre amount. The Government should allot more funds to voluntary organisations in the form of grants. In each district, there should be at least four or five old-age homes, especially for the destitute old.

Thirdly, the need for an Elders' Day. Sir, we are celebrating the Teachers' Day; we are celebrating the Children's Day. Like that, you fix a day and celebrate it every year as the Elders' Day so that we can create an awareness among people, so that we can create some feeling for the aged people among the younger generation. My specific emphasis is on the Elders' Day because there is no financial commitment here. Just to create an awareness in the society, every year you celebrate the Elders' Day.

For children there are so many schemes. For women there are so many schemes. But as far as elders, aged people, are concerned, there are no schemes. So, I would request the Government to evolve a national policy regarding the aged.

Then, elders also require an insurance scheme. Just like the Life Insurance Scheme, you prepare a strategy regarding an old-age insurance scheme. I cannot say what the exact manner is. But you try to think over an old-age insurance scheme. We can also have old-age bonds. If there is any financial constraint, try to get money by old-age bonds.

Now, coming to medical facilities for the aged, as a doctor, I can say that old age itself is a sickness. In addition to that, the incidence of cancer, the incidence of cataract, the incidence of the enlargement of the prostate gland, and the incidence of arthritic pains are peculiar to old age. So, as fas as medical facilities are concerned, there should be free medical aid for aged people.

Then, regarding travelling facilities also there must be concessions for the old because in old age their intention is mainly to see places of worship, either churches or mosques or temples. There should be concessions for road journey or rail journey.

There should also be a research on gerontology so that old people may use their strength, physical and mental, and their experience for the welfare of the society.

Coming to the next point, nine per cent of women are widows in our country Everybody knows that it is a curse in our society to be a widow. All of a sudden, the death of a male person in the family will make the entire family starve because in most of the families, the male person is the loan earning member. A majority of the womenfolk in our society are out of the work force voluntarily because of age-old traditions, because of cultural practices. So they are becoming non-productive. All of a sudden, if a male, husband dies, the entire family starves. Sir, in this connection, my suggestion would be as follows. We can make two groups, younger age group and older age group. Between 15 and 44 years of age, one type of problems is there. After 44 years of age, there is another type of problems. After 44 years of age, the problems of aged people are almost identical for men and women.

In respect of widows in the age group of 15 and 44, the problems are different and the solution lies in their re-marriage. That can only solve the problem.

Secondly, there should be temporary shelter homes for the destitute widows. The third point is inheritance of property right to deceased husband's property should be given to the widow. This is very important. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Dr. Reddy, what you are saying was a subject matter to the Private Members' Bill, if I remember correctly, moved by Shrimati Verma, and that was discussed by this House.

DR. NARREDDY THULASI REDDY: Then, an Act on the property right should be enacted by which husband and wife will share all property acquired after marriage—both movable and immovable assets etc. That is also important.

The next point is reservation of jobs and relaxation of age in almost all the Government jobs for the widows. Then there should be vocational training facilities.

Finally, we should create awareness among the widows about their rights. With these few suggestions, I support the Bill move by Shri Suresh Pachouri.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Shri S. Viduthalai Virumbi.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar): If you don't mind, Sir, let me speak first.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: All right. Let him speak first.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Mr. Vice-Chairman, I am garteful to you...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You should be grateful to Mr. Virumbi. You must thank him because he has yielded to you.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: I am grateful to him because he yielded the floor to me and I will some day reciprocate. Mr. Vice-Chairman, I welcome the Financial Relief to Old Persons and Widows Bill, 1990, introduced by my colleague, Shri Suresh Pachouri. Shri Suresh Pachouri is a very enthusiastic Member of Parliament and I have taken note of the fact that more often than not, he comes out with very fresh and timely initiatives and again there is c such occasion. The Indian society is cha ing. It has been known to have the str gth of a social net called a joint fam where everybody was secure, old m blessed the young and the young men a women when they grow up, look after them not only in the fin cial sense but almost in every oth non-financial field also. So the strength the Indian joint family has been the e vy of the rest of the world and peo have looked at it with great respect. Wh is that thing which integrates the Indi society? What makes members of t Indian society secure financially, ecor mically and emotionally? But believe or not, the Indian society is in transiti and a joint family is giving way to u cleus families under conditions of wor ing life, under conditions of econom pressure. There is a great shift in the s cial pattern. One of the problems com that in a rural economy, in a agricultur economy, it was possible to retain a joi family, a large family under one integrat umbrella and where the old couple blesse the rest of the family and where everybod contributed to the pool and shared t pool. They not only contributed in term of efforts, but whatever income one ca retain individually belonged to the famil pool and out of that family pool, every body got according to his needs. Th bread-winner got the maximum, the ol and the sick got the next and the grow ing children got the next. So there was kind of well-ordained priority within th family for allocation of family resource for different needs which were partly o social criteria, partly investment to huma capital and partly a kind of maintenanc money for those where the human capi tal is going to be somewhat eroded lik when a growing child gets sick. If an person in the society wants to stay alon with strength, it is important not only t have good education but good persona health as well. All these things the join family pool was able to sustain. But two things were happening. One, when mem bers of the family, particularly working members, started working at locations distant from where the major members of the family were staying, it became difficult for them to stay alone

So spouses started joining each other. If wife is working at a hundred miles or two hundred miles distance, her husband will join her. More often than not a situation arises where the husband joins his wife. This was a social system, but this led to certain other developments. When you have your family with you, the nuclear family, your wife and your children are there and when children grow, their schools are there, your own personal needs, your family needs, take priority over the rest of the things. So the historical practice of pooling the income to the largest fabric and then distributing those pooled resources according to priority or on certain criteria became snapped. An element of selfishness, should I call an element of nuclear family priority considerations, started eroding into the basic fabric of an integrated joint family and this led not only to one problem, but two kinds of problems. One, joint family got drained or starved of the support system in financial terms and a large chunk in terms of nuclear family plugged out physically for long periods, not only once a year, they would visit once in two years, once in three years and with the telephone communications growing faster, perhaps a good old joke about America is : "I heard that your parents are sick and you are still here!" Your son or daughter says, "Oh, no I called them only yesterday. I called them on telephone". There they leave it. In our society if parents are ill, the whole family—beg borrow or steal—will take leave or run away from work. It is their first duty to look up the old. That kind of a thing is important, either calling them on phone or writing a letter or sending a message through some intermediary—it is a good gesture, a very important gesture nevertheless, but it is insufficient for the social components, social dimensions of the system. On the economic level the joint family system was a social service system, social security system, and if its resources got drained and in that situation if an old couple is there, both could have been working but now retired or who could have never been working but always have been blessing the rest of the family and sacrificing their personal growth for the rest of the family to grow, somebody has to do the baby sitting somebody has to be the local guardian and in the process his personal growth cannot take place. Throughout his life, in the economic sense, he will be a dependent member of the joint family. Although he has made so many sacrifices and has made substantial contributions, what happens to such things? There are people who are economically successful and ultimately they have retired, but their post-retirement income is not an index for...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Prof. Thakur, the Bill is about social obligations.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Sir, I am coming to that. Are you suggesting that economic dimensions are social aspects of it? You cannot sustain anything in the society without a back-up of economic resources and, after all, if you have economic resources, what is the purpose of that? You eat, drink, enjoy social life. I invite you and you invite me. I will come. It costs, both inviting and coming... *(Interruption)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): According to you it is a mutuality.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Yes, mutuality. That is all right. This is what happens in the city of Delhi. In South Delhi if somebody invites someone on telephone for dinner, I have heard people say, "Will you arrange to pick me up and drop back" and they say, "no, thank you very much. If I am alive and you are alive we will talk on telephone tomorrow" Because it will cost only three hundred rupees. Even personal socialisation is sustained by the capacity of one or in economic terms. Ministers are a different category. Civil servants are a different category.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You are too much in love with economics.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: I don't deny. With your level of socialisation far too many people are gravitating towards your house, whether you like

[Prof. Chandresh P. Thakur]

them or not. The point I am trying to make is that old age people have their social problems and economic problems. Some problems are of their own creation and some are imposed on them by the environment. Now, on the social side we have a simple problem. When you grow old and fortunately if both of the couple are alive and in good health—both mentally and physically—they have no worry: they feel they are dependent; they are not delinquent. Wherever they are, they are happy. They do not quarrel amongst themselves. If the spouses are in love with each other then they have no problems. You help out each other. It is a good company. You could go down the momory lane: "what did I do when I was very young? How did we spend our honeymoon years? How was our 20th marriage anniversary? When did we get our first child? How was our first daughter-in-law or son-in-law?" Yes, these are good things to sustain you emotionally and morally. You could look to photographs and family albums of relations and old correspondence. And if you are a writer you can put down wour travelogue or personal memoranda or biography or whatever anecdotes. But if you are not equipped with some of these things time hangs very heavily. A retired person loses his life in no time. At work time you do not want to work and earn money. You don't socialise also. A place of work like this Parliament where we do very substantial parliamentary business, is a forum for sustained, intense and very creative social encounter. Now, so long as we are Members here or at work place we have a kind of group to interact with. The moment you become old that kind of a thing in which you have grown in a working span of 30 years or 35 years, depending on the kind of service, is just taken away from you and you feel a sense of unwantedness. I have known senior professors and chief executives of companies who want to walk back to their offices because their looks are different. Why has he come? Is he looking for re-employment? Does he have nobody to talk to at home? Is he looking for some personal loan from the Family Co-operative or is he asking for services like making a telephone call or buying a ticket for airlines or railways? These simple problems to which you are used to as a routine service have to be done. Who will get your vegetables from the market? Now, if you are working your secretary or staff will get it or your children will do it. When you are alone, who will do it?

The emotional side is very important. Now, in Indian soriety there is no emotional problem in a joint family. If you go to West European countries where nuclear family is there, it is there. Emotional satisfaction is a significant aspect. You know that when I was teaching in Canada, next door there was an old lady, very rich lady. She was divorced and unfortunately in old age she got divorced also. It is very difficult to pull on in that old age. Every body becomes an irritant unless there is a common wavelength. And she used to talk to my wife for more hours than she would normally or the simple reason that there was nobody else for her to talk to. When she was in the hospital she used to send invitation to us, "Why don't you come and have dinner with me?" We used to visit her more often and we used to have more dinners than we normally would for the simple reason that she needed a sense of belonging to a human group. And she related with us because we came from such a social milieu where these human values were superior and we respected them. We were willing to shell out our time and extend our social support to that old lady.

The fourth aspect is security, simple physical security. The other day I had gone for a lecture to group of officers in an insurance company—General Insurance, Oriental Life Insurance—and the chief executive was giving me a ride back home. I asked him, "When are you retiring?" I said, "You know the city of Bombay; now you know the city of Delhi. Where do you like to settle?" He said, "I am a Maharashtrian." He said, "Culturally I belong to Maharashtra. So I would like to settle in Bombay. But work-wise for long I stayed in Faridabad. I have spent many years here." He was giving a graphic account of old-age problems and choices in

the city of Delhi compared to the city of Bombay. In Bombay, he said, life is costly but that society is very emphatic people can relate with you. But medical services are cheaper here in Delhi; they are costlier in Bombay. The worst point is in Delhi an old man is more insecure than in Bombay. Delhi is a city of contractual obligations, a mini-version of America. "You are a friend, but what have you done to me lately?" "If you have not done anything, then our friendship is not of the same order." If you are in office, you are my friend. Sir, so long as you are in the Chair, definitely you are a greater man than any of us sitting here. But the moment you are back here, the wave length changes. If you are an ex-MP, the wave length changes. So, the higher levels, the higher contacts, sustain in a society, in a bureaucratic society like Delhi where people are interested in the crumbs of office on a reciprocal basis, whether it is a Government office or an executive office or whatever. It is of one kind here compared to what you have relatively in Bombay. But, by and large, Delhi is a more insecure city. I don't feel insecure because I live in a restricted environment although there are more red alerts in this area than in any other part of Delhi. Although in the last ten years I have found the red alert frequency is growing, I have not found one terrorist being caught although there is a lot of police force and equipment. Therefore, it is more a drama than actual work that is done. If this is the situation of a relatviely secure, cordoned-off area, what is the situation in the rest of Delhi?

There are three kinds of people who feel most insecure. One is the young girl, for obvious reasons. She feels very insecure. She may be walking alone in the streets of Delhi, late in the nights or during mid-days when everybody is at work. It is very insecure for young girls. The second, children. There is a flourishing trade of children being sold as slave labour, as prostitutes and other kind of things. Then the third and the most vulnerable are the old people. You may be carrying just Rs. 10. Ten rupees are simply good enough; if it is a lady, her *mangalsutra* or small ornaments in the ears or whatever—that is a provocation, an attraction enough—or a wrist watch. And you can get pounced upon if you are walking; if you are travelling in a bus, you can get assaulted; if you are riding a vehicle, then there could be a road block and you face a danger even to your physical life, apart from losing whatever you have with you. This is the kind of insecurity you are living with. You frequently run into various threats depending upon the kind of city you are living in.

In all the rural areas historically it has been a very secure place. The sense of insecurity is penetrating the rural areas also. In the rural areas of Punjab, Assam and in certain parts of Andhra Pradesh and Bihar, this sense of insecurity has grown as the joint family system is disappearing. Our social consciousness is also getting dampened, and we are becoming more self-centred to the extent that we turn a blind eye when people are getting murdered so as to avoid going to the police stations or giving evidence or to stand witness in the courts. So Mr. Vice-Chairman, Sir, there are problems in the old age which may be of a intra-family nature and there are poblems of old age which, though intra-family in nature, have a social bearing. There are problems of old age which are sex-based, there are problems of old age that successful children bring and there are problems of old age when one of the spouses is the survivor while the other is dead. There are problems of old age when the children are delinquent and unsettled. In the case of problems which are brought about by the success of children, the old parents find that their child is away from them. The child goes where success leads him. The parents are, no doubt, happy at the child's success but of the same time they are sad that he is not with them. Now, in my own case, my son is in the United States. He being busy, does not write letters and calls us on phone once a week. We too do the same thing and instead of writing, we talk to him on the telephone, no

[Prof. Chandresh P. Thakur]

doubt it is more expensive, but then nothing can be done about it. We miss him and he misses us. It was last year that he left for the United States and he is not prepared to come here and neither do we wish to compel him to come back. His success is what matters to us. In the case of old parents who have children who are unsettled or delinquent, there are more problems. The parent is concerned and preoccupied with plans to settle his child. At times the child may be unduly demanding. He may blame the parents for his failure instead of blaming himself. This may lead to violence which could be verbal or physical. One finds that there are various kinds of problems that the old people face. This Bill which seeks to give financial assistance is most welcome. If the old people have no source of income, this could sustain them and in case they have some source of income, this could serve as a supplementary income to retain their purchasing power. Mr. Vice-Chairman, I feel that the old people should also be given travel facilities. When one is young, one needs to travel; it could be work-related travel or it could be a paid holiday. But when one is old too, one needs to travel, if not for anything else, to meet friends, or one would want to go on a pilgrimage to ensure a place in the heavenly abode. Then the old people also need to be provided with medicare facilities. They should also be provided with a home if they do not have a family. A holiday home for the old should be set up so that they could meet people, talk to them and give vent to their feelings. I remember, when I had been to the place of my friend to meet him, it so happened that the friend was not there and his old father happened to be there. This old man had retired as a Principal of a Science college in Patna and he told me that my friend was not there but he would want to talk to me if I were free to spend some time with him. Out of sheer respect for friend's father, I said
4.00 p.m. that I would come. He said that I should come and he would not bore me. I went there and was with him for two hours. He said, "You come some time later. You need not come, you promise that you would come and that would sustain me for some time."! I spent two hours and he told me about his son's successes and failures, how he was raised, when he fell sick how he and his mother cared for him and how both of them called the doctor and so on. I was not interested in any of those things. But all this was to sustain the social and emotional needs of my friend's father that he was.

The point is not that I am getting greyer and balder, but I am also getting older earlier.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicharry): That is his worry now!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR *ANNAJI MASODKAR*): Getting older, you say some wiser words also!

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, do not tell him that he is old.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI (BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Thakur, I think you were pleading your own case.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: I am in the common social net.

SHRI V. NARAYANASAMY: After hearing his speech, we also feel that we are old.

श्री० चन्द्रेश पी० ठाकुर : तुम्हारी उम्र क्या है ? उम्र होने से बुद्धि बढ़ती है, लेकिन ताकत घटती है । Therefore, I am inviting the attention of the Government to the problems faced by these people. The honourable Minister is here. He takes care of so many problems of the society. He knows that the problems of the old are as important as the problems of the delinquent children... (*Interruptions*) . . . .

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): You have not touched on the problems of widows.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Widows, whether they are young or old, they have their own problems. Their problems are galore. And, Sir, the sociey which was fully a social net called the joint family is now changing into a nucleus family that is coming up. So, this strength of the society in terms of providing social security needs to be replaced by some mechanism and it is here that the Government as the custodian of the interests of all members of the society sould look into it in a very positive way and anything that comes by way of making even a very sincere beginning will go a long way and the Government of the Gongress (I) Party and the Minister, Mr. Sitaram Kesri, who has some of the social concerns as his priority, I am sure, will consider this and I am sure he will come out with some gesture on his own, if not today, at least tomorrow or in the future. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, Mr. Khaleelur Rahman.

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आंध्र प्रदेश) : जनाब वाइस चेयरमन साहब, मैं श्री सुरेश पचौरी जी ने जो बिल "फायर-नेंशियल रिलीफ" टू ओल्ड परसेंस एंड द नीडी विडोज बिल, 1990" पेश किया है, मैं उसकी ताईद करता हूं।

मैं समझता हूं कि यह बिल वक्त की अहम तरीन जरूरत है। जनाब वाइस चैयरमेन साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो इंडियन सोसायटी है, उस सोसायटी का तसब्बुर कंसेप्सन सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी है। इस सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी में यह होना चाहिये कि हिन्दुस्तान के जितने भी शहरी है, खवाह वह नौजवान हों या बूढ़े, उनको अपनी जिन्दगी गुजराने के लिये खातिरखाह आमदनी होनी चाहिये। जहां तक हमारे जो जईफ लोग हैं जो बूढ़े हो चके हैं, 60 साल से जायदा हो चुके हैं, हम यह देखते हैं कि अगर उनकी कैटेगरी की जाए तो एक अर्बन कैटगरी होती है जोकि शहरी इलाकों में रहते हैं और दूसरे जो रूरल इलाके में रहते हैं यानी देही इलाकों में रहते हैं। वे लोग, जो देही इलाकों में रहते हैं, उनकी हालत इन्तहाई काबिल-ए-रहम है, इस वजह से कि वे नान आरगेनाइज्ड केटेगरी समझे जाते हैं और उनके पास उनकी गुजर-बसर करने के लिए, उनकी जिंदगी गुजारने के लिए किसी किस्म का कोई असासा नहीं होता। हत्ता कि उनकी औलाद भी, जो रोजाना मजदूरी कमाकर खाती है, उनमें खुद भी इतनी इस्तताअत नहीं होती, न इतनी ताकत होती है कि वह खुद अपनी जिंदगी गुजारकर अपने बढ़े मां-बाप अपने बूढ़े दादा-दादी की खिदमत कर सकें। लिहाजा यह जरूरी है कि वे लोग जो देही इलाकों में रहते हैं उनके लिए कुछ न कुछ इंतजाम किया जाए। मगर इंतहाई अफसोस है कि मैं तो मरकजी हुकूमत और न ही रियासती हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो करती है। कहने को तो यह कहा जाता है कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम राएज की गई है—किसी रियासत में 100 रुपए दिए जाते हैं, किसी में 50 रुपए दिए जाते हैं और यह भी जो दिए जाते हैं, उसमें भी अकरबा-परवरी, रिश्तेदारी, दोस्ती, इन सबका ख्याल करते हुए सिर्फ उन्हीं को दिए जाते हैं। आप यह बताइए कि 50 रुपए या 100 रुपए की भी इस जमाने में कोई कीमत है जब कि एक रुपए की कीमत बड़ी मुश्किल से 8 पैसे होकर रह गई है? तो आप बताइए कि 50 रुपए की कीमत क्या है? 50 रुपए की कीमत इस वक्त 4 रुपए के बाबर है और 100 रुपए की कीमत सिर्फ 8 रुपए के बराबर है। और यह भी जो वाक-ए-अतन जरूरतमंद हैं, उन तक यह पसा नहीं जाता, यह बीच में ही खत्म हो जाता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी में हुकमत का यह फर्ज-ए-अव्वलीन है कि वह एक ऐसी पालिसी एडाप्ट करे जिसके जरिए वे तमाम लोग, जो बूढ़े हैं, जो 60 साल से जायद हैं और जिनके पास गुजर-बसर करने के लिए कोई सोर्स आफ इन्कम-ए-कोई जरिया आमदनी नहीं है, उनकी मदद करना हुकूमत का फर्ज-ए-अव्वलीन है और अगर हुकूमत उनकी मदद करने में नाकाम हो जाए तो मैं समझूंगा कि वह हुकूमत हुकूमत

[श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान]

नहीं है और वह इस काबिल नहीं है कि वह मुल्क या किसी रियासत को गवर्न कर सके। लिहाजा इस बात की शदीद जरूरत है कि जो 60 साल या 60 साल से जायद ऐसे लोग हैं, जिनकी कोई आमदनी नहीं है, उनको पेंशन देनी चाहिए और कम से कम मेरी यह तजवीज है कि कम से कम 300 रुपए माहवार का पेंशन आप दें। 300 रुपए माहवार का भी अगर आप पेंशन दें तो मैं समझता हूं कि, जैसे अभी कहा गया कि 1981 के सेंसिज के हिसाब से यह परसेंटेज जो आता है, वह 4.3 करोड़ का है तो हो सकता है कि 1991 में 6 करोड़ जईफ लोग हो गए होंगे जो 60 साल से जायद हैं, तो इस हिसाब से अगर 300 रुपए भी दें तो मैं समझता हूं कि यह इतनी ज्यादा रकम नहीं है कि जिससे हुकूमत का खजाना खाली हो जाएगा।

इससे हटकर भी मैं यह कहूंगा कि ओल्ड एज पेंशन का जहां तक सवाल है, उसके अलावा उनको ट्रेवलिंग फेसेलिटी भी देने की जरूरत है। वह जईफ अपने बच्चों के पास, अपने रिश्तेदारों के साथ बादफा जो मनाजिर होते हैं, मनादिर होते हैं, मदारिस होते हैं, मसाजिद होते हैं, दरगाहें होती हैं, यकीनन वे अपने-अपने अकीदे के हिसाब से इन मुकामात को जाते हैं। तो लिहाजा इनको ट्रेवलिंग फेसिलिटी देने की भी बहुत जरूरत है।

मेरी तीसरी तजवीज यह है कि उनको मेडिकल की सहूलियतें भी बहम पहुंचाई जायें। हम यह देख रहे हैं कि आज के इस तरक्कीयाफ्ता दौर में भी यानि कि आज हम 1991 में हैं और हमारे अगली सदी में जाने के लिए मुश्किल से 9 साल रहे गए हैं, इसके बावजूद हम यह देख रहे हैं कि कई हमारे गांव ऐसे हैं जहां पर अस्पताल की सहूलियत नहीं है। अस्पताल की सहूलियत बेहद जरूरी है, बल्कि ताल्लुका हैड क्वार्टर्स पर भी जो हमारे मेडिकल प्रेक्टिशनर्स हैं, उनकी हालत यह है कि वे सिर्फ और सिर्फ शहरी इलाकों में ही रहना चाहते हैं और गवर्नमेंट की जानिब से काफी इन्सेंटिव देने के बावजूद भी हमारे डाक्टर्स रूरल इलाके में काम करना नहीं चाहते।

लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इस किस्म की स्कीम बनाई जाये जिससे हमारे डाक्टर्स देही इलाकों में जायें। देही इलाकों में जाकर काम करें। छोटे से छोटे गांवों में जायें और वहां के अवाम को तिब्बी सहूलियतें बाहम पहुंचायी जायें। लिहाजा यह मेडिकल फेसिलिटी का जो खास ख्याल है और जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ओल्ड ऐज खुद भी एक बीमारी है, जईफी भी एक बीमारी है और इससे हटकर कई और किस्म की बीमारी होती है जिसमें मुबतला वह लोग होते हैं और दवाओं की जो कीमत है, वह तो आसमान से बात कर रही है। अगर आप सिर्फ तीन सौ रुपये पेंशन मंजूर भी करें तो यह समझिये कि वह काबिल नहीं रहेंगे कि वह अपनी बीमारी के लिए और अपने इलाज और मुआलिजा के लिए उन तीन सौ रुपये में से भी कुछ खर्च कर सकें लिहाजा जरूरत इस बात की है कि मुकम्मिल उनकी जो मेडिकल ऐड होती है, वह ऐड हुकूमत की जानिब से की जाय।

यह मेरे चंद तजावीज हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और मुझे तवक्को है कि यकीनन हुकूमत की जानिब जो तवक्को करेगी। जहां तक वीडोज—बेवाओं का सवाल है, यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बेवाओं की हालत क्या है? बेवा भी दो किस्म की होती हैं। एक तो नौजवान बेवा, जो बेचारी पहले ही किस्मत की मारी होती है और दूसरी, जईफ बेवा हैं। जईफ बेवाओं की हालत इंतिहाई हालते जार है। उनकी हालत अगर बयान की जाये तो मैं समझता हूं कि हम काफी उस पर बोल सकते हैं और इतना टाईम भी नहीं है कि उसमें ज्यादा रोशनी डाल सकें।

लिहाजा बेवाओं के लिए भी पेंशन की बेहद जरूरत है और हमारी सोसाइट

اس کی تائید کرتا ہوں۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ جناب وائس چیرمین صاحب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہماری جو انڈین سوسائٹی ہے۔ اس سوسائٹی کا تصور کنسیپشن سوشلسٹک پیٹرن آف سوسائٹی ہے اس سوشلسٹک پیٹرن آف سوسائٹی میں یہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے جتنے بھی شہری ہیں۔ خواہ وہ نوجوان ہوں یا بوڑھے ان کو اپنی زندگی گذارنے کے لیے خاطر خواہ آمدنی ہونی چاہیے۔ جہاں تک ہمارے جو ضعیف لوگ ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ۶۰ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر انکی کیٹگری کی جائے تو ایک ایسی کیٹیگری ہوتی ہے جو کہ شہری علاقوں میں رہتے ہیں اور دوسرے جو رورل علاقہ میں رہتے ہیں یعنی دیہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ۔ جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں ان کی حالت انتہائی قابل رحم ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ نان آرگنائزڈ کیٹیگری سمجھے جاتے ہیں اور انکے پاس ان کی گذر بسر کرنے کے لیے انکی زندگی گذارنے کیلیے کسی قسم کا کوئی اثاثہ نہیں ہوتا۔ حتہ

میں جو اخلاقی اقدار ہے وہ دن پر دن گرتا جا رہا ہے۔ جو ایف بیواؤں کے اگر بچے ہیں تو اسکے بچے ہی اپنی ماؤں کی یا اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ لہذا بیواؤں کی طرف بھی، ماسز جو بیوا ہیں اسکی طرف بھی، خیال کرنا بیحد ضروری ہے۔ لہذا میں حکومت ہند سے اور خاص طور پر اپنے ویلفیئر منسٹر صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ جوانوں کے لیے اور بیواؤں کے لیے وظیفہ کم سے کم تین سو روپیہ کریں اور پھر اسسے ہٹکر جو فیسلیٹی جوانوں کے لیے دی جائے، جسکا میں نے ذکر کیا ہے، وہی فیسلیٹی بیواؤں کو بھی دی جائے۔ اس الفاظ کے ساتھ میں سریش پچوری جی کے بل کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ شکریہ۔

شری محمد خلیل الرحمن "آندھرا پردیش" جناب وائس چیرمین صاحب۔ میں شری سریش پچوری صاحب نے جو بل "فائننشیل ریلیف ٹو اولڈ پرسنس اینڈ دی نیڈی ویڈوز بل ۱۹۹۰" پیش کیا ہے۔ میں

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

انکی اولاد بھی۔ جو روزانہ مزدوری کما کر کھاتی ہے۔ ان میں خود بھی اتنی استطاعت نہیں ہوتی۔ نہ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ خود اپنی زندگی گذار کر اپنے بوڑھے ماں باپ اپنے بوڑھے دادا دادی کی خدمت کر سکیں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں انکے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کیا جائے۔ مگر انتہائی افسوس ہے کہ نہ تو مرکزی حکومت اور نہ ہی ریاستی حکومت اس طرف کوئی توجہ کرتی ہے۔ کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ اولڈ ایج پینشن اسکیم رائج کی گئی ہے۔ کسی ریاست میں ۱۰۰ روپے دیے جاتے ہیں۔ کسی میں ۵۰ روپے دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی جو دیے جاتے ہیں اس میں بھی اقربا پروری رشتہ داری۔ دوستی۔ ان سب کا خیال کرتے ہوئے صرف انھیں کو دیے جاتے ہیں۔ آپ بتلایئے کہ ۵۰ روپیہ یا ۱۰۰ روپیے کی بھی اس زمانہ میں کوئی قیمت ہے۔ جب کہ ایک روپیہ کی قیمت بڑی مشکل سے ۸ پیسے ہو کر رہ گئی ہے۔ تو آپ بتایئے کہ ۵۰ روپئے کی قیمت کیا ہے۔ ۵۰ روپیے کی قیمت اس وقت ۴ روپیے کے برابر ہے۔ اور ۱۰۰ روپیے کی قیمت اس وقت صرف ۸ روپئے کے برابر ہے۔ اور یہ بھی جو واقعتاً ضرورتمند ہیں۔ ان تک یہ پیسہ نہیں جاتا۔ یہ بیچ میں ہی ختم ہو جاتا ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشلسٹک پیٹرن آف سوسائٹی میں حکومت کا یہ فرض اولین ہے کہ وہ ایک ایسی پالیسی اڈاپٹ کرے جس کے ذریعے وہ تمام لوگ۔ جو بوڑھے ہیں۔ جو ۶۰ سال سے زائد ہیں اور جن کے پاس گذر بسر کرنے کے لیے کوئی سورس آف انکم۔ کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ انکی مدد کرنا حکومت کا فرض اولین ہے اور اگر حکومت انکی مدد کرنے میں ناکام ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ وہ حکومت حکومت نہیں ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ ملک یا ریاست کو چلا سکے۔ لہذا اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ جو ۶۰ سال یا ۶۰ سال سے زائد ایسے لوگ ہیں۔ جن کی کوئی آمدنی نہیں ہے۔ ان کو پینشن دینی چاہیے اور کم سے کم میری یہ تجویز ہے کہ کم سے کم ۳۰۰ روپے ماہوار کا پینشن آپ دیں۔ ۳۰۰ روپے ماہوار کا بھی اگر پینشن آپ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی کہا گیا کہ ۱۹۸۱ کے سینسس کے حساب سے یہ پرسنٹیج جو آتا ہے۔ وہ چار اعشاریہ تین کروڑ کا

ہے تو ہو سکتا ہے کہ ۱۹۹۱ میں ۶ کروڑ ضعیف لوگ ہو گئے ہوں گے۔ جو ۶۰ سال سے زائد ہیں۔ تو اس حساب سے اگر ۳۰۰ روپئے بھی دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی زیادہ رقم نہیں کہ جس سے حکومت کا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اس سے ہٹ کر بھی میں یہ کہوں گا کہ اولڈ ایج پینشن کا جہاں تک سوال ہے۔ اس کے علاوہ ان کو ٹریولنگ فیسلٹی بھی دینے کی ضرورت ہے۔ وہ ضعیف اپنے بچوں کے پاس اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بعض دفعہ مناظر ہوتے ہیں۔ منادر ہوتے ہیں۔ مدارس ہوتے ہیں۔ مساجد ہوتی ہیں۔ درگاہیں ہوتی ہیں۔ یقیناً وہ اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے ان مقامات کو جاتے ہیں۔ تو لہذا انکو ٹریولنگ فیسلٹی دینے کی بھی بہت ضرورت ہے۔

میری تیسری تجویز یہ ہے کہ ان کو میڈیکل کی سہولتیں بھی بہم پہنچائی جائیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی یعنی کہ آج ہم ۱۹۹۱ میں ہیں اور ہمارے اگلی صدی میں جانے کے لیے مشکل سے ۹ سال رہ گئے ہیں اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ہمارے گاؤں ایسے ہیں۔ جہاں پر اسپتال کی سہولت نہیں ہے۔ اسپتال کی سہولت بے حد ضروری ہے۔ جبکہ تعلقہ ہیڈ کوارٹرس پر بھی جو ہمارے میڈیکل پریکٹیشنرس ہیں۔ انکی حالت یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف شہری علاقوں میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ کی جانب سے کافی انسینٹیو دینے کے باوجود بھی ہمارے ڈاکٹرس رورل علاقے میں کام کرنا نہیں چاہتے۔

لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قسم کی اسکیم بنائی جائے۔ جس سے ہمارے ڈاکٹرس دیہی علاقوں میں جائیں دیہی علاقوں میں جاکر کام کریں۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جائیں۔ اور وہاں کے عوام کو طبی سہولتیں بہم پہنچائی جائیں۔ لہذا یہ میڈیکل فیسلٹی کا جو خاص خیال ہے اور جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اوراچ نود بھی ایک بیماری ہے۔ ضعیفی بھی بیماری ہے اور اس سے ہٹ کر کئی اور قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جس میں مبتلا وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور دواؤں کی جو قیمت ہے۔ وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے اگر آپ صرف ۳۰۰ روپئے پینشن

منظور کریں بھی تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قابل نہیں رہیں گے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے اور اپنے علاج کے لیے اور معالجے کے لیے ان تین سو روپوں میں سے بھی کچھ خرچ کر سکیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مکمل انکی جو میڈیکل ایڈ ہوتی ہے۔ وہ ایڈ حکومت کی جانب سے کی جائے۔

یہ میری چند تجاویز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور مجھے توقع ہے کہ یقیناً حکومت کی جانب سے جو توقع کرے گی جہاں۔ ویڈوز کا۔ بیواؤں کا سوال ہے۔ یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بیواؤں کی حالت کیا ہے۔ بیوہ بھی دو قسم کی ہوتی ہیں ایک تو نوجوان بیوہ۔ جو بیچاری پہلے ہی قسمت کی ماری ہوتی ہے اور دوسری ضعیف بیوہ ہیں۔ ضعیف بیواؤں کی حالت انتہائی حالت زار ہے۔ ان کی حالت اگر بیان کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کافی اس پر بول سکتے ہیں اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ اس میں زیادہ روشنی ڈال سکیں۔

لہٰذا بیواؤں کے لیے بھی پینشن بیحد ضروری ہے اور ہماری سوسائٹی میں جو اخلاقی اقدار ہیں وہ دن بہ دن گرتا جا رہا ہے۔ ضعیف بیواؤں کے اگر بچے بھی ہیں تو اس کے بچے بھی اپنی ماؤں کی یا اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں لہٰذا بیواؤں کی طرف بھی۔ جو بیوہ ہیں۔ اس کی طرف بھی خیال کرنا بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا میں حکومت ہند سے اور خاص طور پر اپنے وزیر فنانس صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ضعیفوں کے لیے اور بیواؤں کے لیے وظیفہ کم سے کم تین سو روپے کریں اور پھر اس سے ہٹ کر جو فیسلٹی ضعیفوں کے لیے دی جائے۔ جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ وہی فیسلٹی بیواؤں کو بھی دی جائیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں سریش پچوری جی کے بل کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ شکریہ

SHRI M. VINCENT (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman Sir, I support the Bill moved by Shri Suresh Pachouri for giving relief to old persons and widows.

Though social reformers like Raja Rammohan Roy and Ishwar Chander Vidyasagar, rendered commendable services for the upliftment of widows, their efforts have not yielded expected results.

The number of aged persons, defined as those of 60 years and above, is on the increase. According to 1981 census, their number was 4.3 crores constituting 6.2 per cent of the population. The number of such persons is likely to increase to 7.5 crores, constituting 7.6

per cent of the population by 2000 A.D.

Non-earning and old members have no respect in their families. They feel not only neglected in their old age but also suffer atrocities which are inflicted upon them for which very strict measures should be provided against such family members, so that the old persons can be saved from their atrocities.

The problems of old persons have been considered in the preceding Five Year Plans. A sub-group constituted under the Seventh Five Year Plan had made certain recommendations for solving the problems of old persons. I urge upon the Government that all such recommendations should be implemented. The financial assistance given by the Central Government to various States for the welfare of old persons should also be increased.

The Central Government can give free medicines, free hostel facilities to the old persons. Their services can be utilised for adult education etc.

Day-care centre should be started and Old Age Home Scheme should be introduced for them in all the States. The Central Government should also introduce programmes and schemes for them like the National retirement Pension Scheme of Britain, Old-age Assistance Programme of U.S.A. and housing schemes of European countries etc. The old persons who have crossed the age of 70, and have been deserted by their children, should be provided with proper medical care. Their pension should also be increased to Rs. 150/-. In Tamil Nadu, our Chief Minister, Puratchi Thalaivar has announced a scheme to give free food to old persons. This should be followed all over India and the Centre should provide funds for this purpose.

According to 1981 census, of the 2.57 crores of widows, their percentage in the population is 7.9. It was with great efforts of Ishwar Chandra Vidyasagar that Widow Marriage Act was passed in 1876. But mere legislation cannot do much. It is the responsibility of our Government to take concrete and effective measures to improve the sad plight of the widows.

In our society, widows are subjected to all sorts of humiliations, exploitations and atrocities. Our social traditions do not allow them to re-marry. Illiteracy remains the greatest barrier for the improvement of the economic position of widowed women, particularly in the ruarl areas.

Age-old traditions, social prejudices and cultural practices almost exclude widowed women from any socially productive work. In some communities and regions, there is almost a sort of social boycott of widowed women. So, the social reformers should make their sincere efforts in breaking such traditional obstacles. The widows should be given priority in allotment of flats. The educated widows should be employed on priority basis. They should also be employed in government services and age limit for them should be raised to forty-five years.

If a person dies in harness in a public undertaking, his widow should definitely be given a job according to her qualifications. Widows should be given facilities which are enjoyed by the freedom fighters.

In order to reduce the number of widows, child marriage and ill-matched marriage should be banned.

[M. Vincent]

For widows in the younger age group, particularly those between 18 and 45 years of age, the problems are more related to economic independence and rehabilitation in the society, and in the age group of 45 and above, the problem is more that of social acceptance and security. Such women, if not previously employed, will be unfit for employment.

There should be employment-oriented and employment generation programmes for the widows, and those widows who cannot go out of their houses, should be provided with home-based job.

For many years, rich persons from Arab countries have been coming to India and taking minor girls with them as their brides. A law should be enacted to prevent such practices.

Indian Parliament should send a proposal to UNESCO that 'Old Age Day and Widow Day' should be observed.

A survey should be conducted in the country and after collecting full statistical data, National Commission of Old-Age People and National Commission of Widows and Destitutes should be constituted.

The Government should make provision of at least Rs. 500 crores in the Eighth Five Year Plan for the upliftment and amelioration of the condition of widows and aged people.

As I conclude, I wish to make a specific point. When the House was discussing the Protection of Wild Life Bill, the Government was kind enough to accept most amendments moved by an hon. Member. The same hon. Member, Shri Suresh Pachouri, has now brought this important Bill. Therefore, I urge upon the Government to display the same spirit and accept the Bill.

*SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful for the opportunity given to me to speak on this Bill that seeks to provide financial relief to old persons and widows. This is a social problem prevalent all over the Country. Though this is a problem for which we can't find an immediate solution, we must remember that this social problem needs our immediate attenetion. I congratualate hon'ble Member Shri Suresh Pachouri for bringing this Bill. When we approach this problem, we see two categories of people-those who do not have any social and financial security and those who need to be given financial assistance for various reasons. Those persons who have got provident fund and gratuity and have secured pension need not be given this assistance. Those persons were in organised sectors and as such, they would be in a position to look after themselves. Again, those who need financial assistance can be divided into two groups—those who do not have one to support them and those who have heartless near relations unwilling to support them. Those without anyone to support consist of old persons and widows. Among widows, there are young women who can remarry and old women who need assistance all their life.

Sir, these old persons and widows who have their near relations who are heartless and unwilling to support, can be given protection by law. A law should be enacted to make it incumbent on such relations to look after these neglected people. But those without anyone to support should be given enough financial assistance by the Government.

We have yet another category of people, who have such relatives very much willing to support them but unfortunately, they have no money. This category of people should also be given financial relief.

Mr. Vice-Chairman, Sir, according to the information available, there are about 93 voluntary organisations functioning all over the country to provide assistance to these neglected people. According to 1981 census there were 4 crores 30

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

lakhs old persons. This figure is likely to swell to a staggering 7.5 crores by 2000 A.D. If this calculation is to be believed, now there should be about 6 crores of old persons.

Sir, the financial memorandum of Finance Department Says:

Clause 3 provides for grant of monthly financial relief of Rs. 300 to old persons and widows.

At the end it goes on to say,

> Though the exact number of persons who will be claiming the relief is not known, it will run into crores. It is estimated that a recurring expenditure of Rs. 500 crores is likely to be involved. No non-recurring expenditures is likely to be incurred.

According to this statistics, if Rs. 500 crores is to be given at the rate of Rs. 300 per month per head, the number of old persons should be 1 crore 67 thousands only. We are at a loss to understand how the Government worked out this figure, while there are about 6 crores of old persons in this country. Therefore, a fresh census has to be taken to find out how many old persons are badly in need of money. This is very important. Then alone, we can chalk out a programme to help them.

Sir, the Department of Welfare has approached the Planning Commission and Finance Commission asking for atleast 2 per cent financial assistance. But the Finance Commission has agreed to give only 0.2 per cent assistance. This is not one tenth of the demand. This is really regrettable. I feel, if we had a National Council on this subject, that would have been able to sort out these problems.

Cutting across party lines, I wish to say one thing about Tamilnadu. In 1962, when the late Shri K. Kamaraj was the Chief Minister of Tamilnadu, steps were taken to launch these schemes. At that point of time, besides Tamilnadu, the states of Andhra Pradesh, Kerala and Uttar Pradesh had the scheme providing financial relief to old persons. That schemes has been continued in Tamilnadu even when the Governments changed. When we were in power in Tamilnadu including the two year-period recently, we announced many concessions for women. This is not to boast that I say this here but because, the states where those schemes have not been introduced can also launch such schemes. Our Government sanctioned a grant of Rs. 5000 to every needy unmarried women for conducting the marriage. We said that only women would be appointed teachers in all primary schools and many women were appointed teachers under this guideline. We also gave grants for widow's re-marriage besides a time-fixed bond which would fetch them money on maturity for future use. Above all, we enacted a law in the Assembly giving women equal right to the family property. The Government headed by Dr. Kalaingnar implemented these schemes. It is my sincere wish that such social reforms should take place in every corner of this country.

Sir, during the Seventh Five Year Plan, promises were made to bring National Policy and National Council to solve these problems. I hope this will take shape at least in the Eighth Five Year Plan. As I stand here, I am reminded of some golden lines of a great Tamil Poet, a poet of social renaissance, Bharathidasan. The poem goes:

> Adhirndhidum Illamai Podhil
> Avana Arangal Seidhu
> Mudhirnthidum Paruvam Thannil
> Makkatku Mudiyay Chooti
> Eadhirnthidum Thunbam Eadhum
> Illadhu Makkal Perar
> Vaz hndnidal Kanndu Nenju
> Makizhvathe Vazhvin Veedu.

The translation goes thus:

> The bubbling youth is spent
> with deeds of charity abound;
> The ripe age is spent
> Listening Children's Wedding sound;
> While miseries stand miles away
> In the lap little ones play;
> Mounting joy fills the heart
> In the home happiness everywhere wrought.

Bharathidasan is very clear about his concept of life. He does not agree with

[Shri S. V. Viduthalai Virumbi]

the view that heaven belongs to the celestial world. He asserts that it is on earth, it is in the Home itself. If a person leads a peaceful and fruitful life surrounded by joyous kin, that is the happy home, the heaven. This concept of life is true even today. Therefore, it should be the endeavour of the Government to make every home a happy home.

I feel it my duty to recall what our national leaders like Mahatama Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru and Dr. Ambedkar said long ago. While framing the Constitution, they had the social problems in mind. Since they were great visionaries, they could think of these problems some 40 years back. That is why Article 41 is incorporated in the Constitution. Article 41 says:

> "The State shall, within its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want."

The makers of our Constitution had clearly spelt the need to give protection to old persons. Therefore this Bill is a welcome one for it seeks to fulfil this Constitutional provision.

But, if the hon'ble minister requests the hon'ble member withdraw the Bill, he should assure that a comprensive legislation shall be brought soon. Or else, I request the hon'ble Member not to withdraw the Bill. With these words I conclude.

SHRI H. HANUMANTHAPPA:

जातस्य मरणम् ध्रुवम् ।

Sir, this is a Sanskrit which means a person who is born has to die. Similarly, a person who is born has to become old, there is no escape from old age. I congratulate Shri Sitesh Pachouri bringirg forward this Bill to attract the attention of the Government to take care of the people who have become old and who will become old. No person can escape old age. My friends have given the figure of aged persons as 4.3 crores. There are 4.3 crores of aged people as on 1.1.1991 but this Bill actually takes care of those people who have no others source of living. Many of the aged persons are already covered. For example, Government employees are covered by pension schemes. Even the legislators are covered by pension schemes. Public undertaking employees are covered by pension, gratuity and provident fund schemes. Rich business people have made their own arrangements through LIC and other financial institutions. The remaining portion will be of those people who are in the unorganised sector and who are living below the poverty line. I think here comes the responsibility of the Government under this Bill. These people have nothing left with them in the old age. Whatever they had in the form of manpower labour, they gave it to the society for its development. These people have only the manpower and all the manpower they are giving for development of the society. In the old age, when their manpower is exhausted nothing is left with them. They have no money, nothing of the sort. Others have their property, money and all other things, but this unorganised sector people have nothing left in the old age. They have nothing to fall back in the old age. So, it is the responsibility of the Government to take care of these people. Many of the State Governments have introduced old-age pension scheme beyond the age of 60. The Central Government should not hesitate to take up his responsibility which will go in favour of the unorganised labour and those who are living below the poverty line, who have given everything that they had in the young age to the society for its upliftment and development.

There is another aspect of the problem, which is the problem of widows. We passed the Prohibition of Sati Act, but we did not take of the condition of widows. We should not allow them to fall in the hands of bad characters of the society for

being humiliated, for undergoing atrocities and finally being sold in the Bombay market or in the Gulf market. It is the responsibility of the society and the Government to take care of these people. I fully support the Bill brought forward by Shri Pachouri. The Government should find ways and means to help widows and the aged persons in the form of financial assistance. I hope the Government will accept the proposals, which almost all the States have accepted, and bring a comprehensive Bill. Even while discussing the working of the Labour Ministry, we had stated that the labour in the unorganised sector should be given old-age pension. So, provision of widow pension and old-age pension is a duty cast upon the society and the Government, and I request the Government to accept this proposal and bring forth a comprehensive Bill as early as possible.

Thank you.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य श्री पचौरी जी को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने इस विधेयक को यहां प्रस्तुत किया है। यह बहुत ही जरूरी है।मेरा ख्याल है कि बूढ़ो के प्रति मौजूदा पीढ़ी, जिसमें हम लोग हैं, जो अनादर का भाव दिखला रही है, यह एक कारण है कि समाज में जो एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, उसका अभाव हो गया है। हम लोग यहां इतने अच्छे-अच्छे भाषण करते हैं और फुटपाथ पर बूढ़े लोगों को भीख मांगते देखते रहते हैं, लेकिन उनके लिये कुछ करते नहीं हैं। हम लोगों को उपदेश देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं इसलिए इसे कुछ लोग नैतिक पतन की बात कहते हैं। मेरे लिहाज से उसके लिये हम लोग ही जिम्मेदार हैं। हमने अपने बूढ़ों के लिए कोई न्यूनतम व्यवस्था भी नहीं की हुई है जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन बिता सकें। जब मैं खुद बिहार असेंबली का मेंबर था, मैंने वहां एक ओल्ड ऐज पेंशन के बारे में प्रस्ताव रखा था। उस वक्त कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, लेकिन हम लोगों का भी उनको समर्थन था। बिहार विधान सभा में वह प्रस्ताव पास किया गया और वहां ओल्ड ऐज पेंशन लागू की गई। इस विधेयक पर मेरे ख्याल में, भारत सरकार को दूसरे ढंग से सोचना चाहिए। राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। केन्द्र की भी बहुत अच्छी है सो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन राज्य सरकारों की और भी ज्यादा खराब है। इस बिल के मुताबिक जो यूनियन टेरोटरीज हैं इसको केन्द्र सरकार करेगी और बाकी सब राज्य सरकारों पर रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए राज्य सरकारें पैसा कहां से लायेंगी? इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि अगर यह मान्य हो तो इसके लिये एक नेशनल स्कीम बनानी चाहिए और केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें, दोनों ही इसके खर्चे का भार वहन करें। यह दोनों को मिलकर करना चाहिए। इसको किस तरह से करना चाहिए? शुरू में जो बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं उनके लिये यह करना पड़ेगा और बाद में हमें, जब हमारे पास साधन हो जायेंगे तो बाकी लोगों के लिये भी एक राष्ट्रीय पेंशन योजना बनानी चाहिए इसलिए मैं यह चाहता था कि इसको भी इसमें जोड़ा जाय।

एक और बात है। हमारा इस बारे में कटु अनुभव है कि समाज में जो परित्यक्ता हैं, जो अबेंडेड वूमेन हैं, उनकी हालत और भी ज्यादा खराब है। इसलिए पचौरी जी इस बात को स्वीकार करें और सरकार इसको माने कि इसमें अबेंडेड वूमैन, परित्यक्ता को भी इन्क्लूड कर दिया जाये। वे भी इस तरह की मदद के सहायता के हकदार हों। तो मेरा यह सुझाव है और इसको ठीक ढंग से लागू

[श्री चतुरानन मिश्र]

किया जाना चाहिए । इसके लिये साधन कहां से आयें, तो मेरा ख्याल है कि हमारे देश में जो उत्पादन होता है, क्योंकि इसको एक सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी हम मानेंगे, इसलिए जो खर्चा हम लोग करते हैं या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में खर्च होता है उस पर एक छोटा सा टेक्स लगा कर इस काम को करना चाहिए जो प्रबन्धन बोर्ड रहेगा, उसके मातहत इस को अच्छे ढंग से किया जा सकता है । हमने जो परित्यक्ता की बात कही, उनके लिए कुछ समाज सेवी संस्थाओं के लोग ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जो उनको काम पर लगा सके । इस प्रकार की एक संस्था मिथिला सेवा नाम की एक संस्था है वह ऐसी औरतों को छोटा-मोटा सिलाई बुनाई का काम या कुछ कॉटेज इंडस्ट्री में सामान बना कर विदेशों में भेजा जाता है इस तरह की चीजों को तैयार करने का काम देती है । इससे उनको थोड़ा सहयोग मिल जाता है । यदि ऐसी संस्थाओं में उनको काम दिया जाए तो उनको बहुत रिलीफ हो सकता है । यह मैं चाहता हूं कि उनको काम दिया जाए । इसको हमनें राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए । मौजूदा सरकार तो अल्पमत की सरकार है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह कोई अच्छा काम नहीं कर सकती है । अगर अच्छा काम अल्पमत की सरकार भी करना चाहेगी तो लोग उसका समर्थन करेंगे । इस तरह का अगर आप एक सर्वांगीण विधेयक लायेंगे तो हम लोग उसका पूरा समर्थन करेंगे । इसलिए आपको इसका भय नहीं होना चाहिए । और इस अच्छे काम को करना चाहिए । मैं केवल यही कुछ कहना चाहता हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है । मैं माननीय सदस्य श्री पचौरी जी को हृदय से धन्यवाद देती हूं और बधाई देती हूं कि उन्होंने उस उपेक्षित वर्ग के लिए यह विधेयक लाया है और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है । हमारे समाज में वृद्ध चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों का ही बहुत महत्व है , और महिलाएं तो चाहे परिवार चलाने के सम्बन्ध में हो, चाहे बच्चो के लालन-पालन करने के सम्बन्ध में हो, चाहे आदमी के लिए दिशा निर्देशन या व्यवस्था देने के सम्बन्ध में हो महत्वपूर्ण है ही । महोदय, एक कहावत है कि जहां वृद्ध होंगे वहां विवेक होगा, वहां शांति होगी, वहां धैर्य होगा, जहां क्षमा होगी औ वहां करूणा होगी । हम उसी वर्ग को अपने महत्वपूर्ण बुजुर्गों को विसार दें या भूल जायें तो यह बड़ी खराब बात होगी । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि वृद्धों के लिए जीवन-यापन के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए । उनके लिए विशेष आश्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर वह अपने जीवन-यापन के साथ मनोरंजन भी कर सकें तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकें तथा जीवन के आखिरी पड़ाव में शान्ति-पूर्वक रह सकें । हम सभी लोग जो समाज में रहते हैं । चाहे वह बच्चे हैं या नौजवान हैं, चाहे किसी भी उम्र के हैं जीवन के आखिरी पड़ाव में अवश्य ही जाना है । यदि उस स्थिति को हम उपेक्षित कर दें तो हम सब के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी । वृद्ध व्यक्तियों के लिए मैं समझती हूं कि उनकी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, अपने कुछ कार्यक्रम होते हैं, इन की पूर्ति के लिए भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए । वैसे तो माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव रखे हैं । मैं सब से पहले आपको यह सुझाव देना चाहती हूं कि जिस प्रकार से हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानियों को रेल के पास दिये गये हैं उसी प्रकार से भारत भ्रमण के लिए वृद्धों को एक कम्पेनियन के साथ रेल पास की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए । उनके ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए । यह व्यवस्था यदि फ्री न हो सके तो कनसेशनल रेट पर या वन फोर्थ रेट पर मामूली सा शुल्क ले कर की जानी चाहिये । कांग्रेस सरकार के टाइम में वृद्धों का हमेशा ध्यान रखा

गया है । वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई थी और महिलाओं के लिए जो पेंशन की व्यवस्था की थी, मैं चाहती हूं कि इस को ठीक तरह से कार्यान्वित करने के लिए जो नौकरशाही है या इसमें इतनी जटिल प्रक्रिया है कि लोगों को विशेष तौर पर महलिाओं को बहुत भटकना पड़ता है ।

मैं ग्रामीण अंचलों को विशेष तौर से जानती हूं । ग्रामीण अंचलों से मेरे गहरे ताल्लुकात रहे हैं और हैं । वहां साधनहीन और बेचारी महिलाएं हैं । पहले सनातन युग में, जबसे सृष्टि की रचना हुई थी यह उपेक्षित हैं उसके बाद से तो जब हमारा हिंदू धर्म आया तो उसमें विधवा के लिए एक सती प्रथा की व्यवस्था थी । आपको मालूम ही है कि सती प्रथा का उन्मूलन इसी संसद् ने एक प्रस्ताव पास करके किया था, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था । लेकिन उस सती से उबारकर महिलाओं को जीने हेतु कोई दिशा देने की व्यवस्था नहीं है । यह तो ऐसा ही है कि उनको कुएं से निकालकर खंदक में डाल देना है ।

मैं कहना चाहती हूं कि सरकार की पेंशन योजना जो है इसमें जो जटिल प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के लिए जो नौकरशाह हैं जो अधिकारी वर्ग हैं चाहे ब्लाक स्तर के हों, जिला स्तर के हों या तहसील स्तर के हों, उन पर जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए । ये अधिकारी वर्ग के जितने लोग हैं ये गांव-गांव और शहर, मुहल्लों तथा कस्बों में जाकर एक समीक्षा करें और उनकी संख्या ज्ञात करें कि उनके क्षेत्र में कितनी ऐसी बेबस बेसहारा महिलाएं हैं और उनकी संख्या ज्ञात करके उनको कोई न कोई सुविधा दी जानी चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि जो महिलाएं, विधवा और वृद्ध हैं लेकिन शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से कुछ करने में भी सक्षम हैं और उनके अंदर कुछ इच्छा या जिज्ञासा भी है कुछ करने की तो मेरा निवेदन यह है कि ऐसी महिलाओं के लिए एक तरह की कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उन्हें अपने स्वरोजगार को चलाने के लिए उदारतापूर्वक या बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध हो, उनके लिए मारकेटिंग की व्यवस्था हो और उनको घरों में ही कुछ न कुछ काम करने की सुविधा दी जाए क्योंकि महिलाओं की एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है । जब आदमी, व्यक्ति या परिवार का मुखिया नहीं रहता है तो विशेषकर महिलाओं पर परिवार के बेटे, बेटियों और उनके शादी ब्याह तथा पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है । हालांकि जब पुरुष होता है तब भी महिलाएं ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करती हैं, अतः उनके लिए कोई काम की इस तरह की सुविधापूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए ।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं मथुरा की ओर जो उत्तर प्रदेश की एक धार्मिक नगरी है, भगवान कृष्ण के नाम का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है । मैं कहना चाहती हूं कि मंदिरों के नाम से तो लोग बड़े-बड़े राजनैतिक व्यापार करते हैं लेकिन अगर ऐसे स्थानों पर रहने वाली महिलाओं की जो दुदर्शा होती है उसकी तरफ भी अगर ध्यान दें तो बड़ा पुण्य होगा । वहां पर जो भजनाश्रम चलते हैं मैं समझती हूं कि वहां रहने वाली महिलाओं की बड़ी दुदर्शा रहती है । मथुरा तो मेरे बिल्कुल पड़ोस में है । मुझे वहां जाने का मौका मिलता है तो वहां मैं देखती हूं कि वहां पर उम्र की, चाहे 15 साल की लड़की हो, चाहे 80 साल की महिला हो, चाहे वह 50 वर्ष की स्त्री हो, उनके सिर के बाल मुड़े हुए हैं । वे वहां पर भजन करती हैं और पारिश्रमिक के रूप में एक मुट्ठी चावल पाती हैं । वे घरों से परित्यक्त होती हैं, निकाली हुई होती हैं । घरों में उनका कोई स्थान नहीं रहता । आज भी हमारे समाज में दुर्भाग्य से ऐसी मानसिकता है कि महिला का अगर पति न रहे तो महिला का घर में न कोई स्थान रहता है न सम्मान रहता है । उसको रहने के लिए कोई आश्रय नहीं होता । ऐसा बहुत से समाज हैं । ऐसे परिवारों से उन्हें निकालकर तो बड़े गाजे बाजे के साथ उनको वहां भजनाश्रमों पर पहुंचा दिया जाता है लेकिन उनका

[श्रीमती सत्या बहिन]

किस तरह से जीवन यापन होता है इसकी तरफ न परिवार वाले ध्यान देते हैं न समाज वाले । मेरा निवेदन है कि सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसी महिलाओं के लिए कई व्यवस्था करें ।

इसमें तो विधवाओं का उल्लेख दिया गया है लेकिन मैं इस विधेयक के माध्यम से बोलते हुए उन महिलाओं की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहती हूं जो शादीशुदा नहीं हैं और वृद्ध हैं । उनकी तरफ भी सरकार को कोई ध्यान देना चाहिए क्योंकि मैंने देखा है कि जो विधवा महिलाएं होती हैं, उनको जो पेंशन मिलती है उस विधवा श्रेणी में वे महिलाएं नहीं आती हैं । उनके पास कोई साधन भी नहीं होते । न तो वे बेचारी विधवाओं की श्रेणी में आती हैं न किसी और दूसरी श्रेणी में आती हैं । जो वर्तमान विधवा पेंशन योजना है उसमें समझ लीजिए कि एक बड़ी त्रुटि वाली बात यह भी है कि . . . ।

जो महिलायें 40 जो विधवायें, ऐसी हैं जिनके साथ एक भी अगर कोई छोटा या बड़ा बच्चा है, यह उसमें दिया हुआ है कि परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वह उसकी देखभाल नहीं करता, तब भी उसको पेंशन नहीं मिलती ।

तो इसके लिए एक अनिवार्य पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए कि जो विधवाएं हैं उनके लिए और जो परित्यक्तायें हैं, उनके लिए भी और जिनके पति घर में शराब पीते हैं और उनको मारते-पीटते हैं, तो ऐसी महिलायें विधवा महिलाओं से भी ज्यादा यातनायें झेलती हैं । उनको स्वावलम्बी बनाने की दिशा में कोई रोजगार योजना, कोई छोटी-मोटी ट्रेनिंग देकर उनको कुटीर-उद्योग लगाने हेतु साधन दिया जाना चाहिए ।

इसके साथ ही नारी को बेबसी से और लाचारी से मुक्त करवा कर उन्हें स्वावलम्बी बनाने की दिशा में अगर हम कुछ काम करेंगे, तो हमारे समाज का भविष्य बहुत अच्छा होगा और अगली पीढ़ी को बहुत अच्छी दिशा महिलायें दे सकेंगी और समाज के बहुत से कामों में उनका सार्थक सहयोग हो सकेगा ।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवादी हूं और साथ ही मैं श्री सुरेश पचौरी को हृदय से धन्यवादी हूं कि वह बिल लाये हैं और हम सब को बोलने का मौका मिला है और अपने-अपने विचार और सुझाव रखने का मौका मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का बहुत अच्छा एक सामाजिक पुणीत कर्त्तव्य होगा कि वह इस पर ध्यान देकर जो सुझाव दिये गये हैं, उनकी तरफ सरकार ध्यान देगी और इन उपेक्षित और पिछड़े हुए लोगों के लिए इसमें जो इंगित किया गया है और जिनके लिए सुझाव दिये गये हैं, उनकी भी व्यवस्था करने का जरूर विचार करेगी ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHAS KAR ANNAJI MASODKAR): Shri V Narayanasamy.

*SHRI V. NARAYANASAMY: M Vice-Chairman, Sir, Hon'ble Member Shi Suresh Pachouri has brought a Bill thi seeks to provide financial assistance c Rs. 300 per month to old persons an widows. It is a welcome Bill. We a can understand the spirit behind this Bil Today, many state Governments provid financial relief to old persons and widow But this benefit is given to only a few pe sons and they too are given a very littl amount. For example, if there are 3 to lakhs persons in a state who deserve thi financial assistance, only thousand t thousand five hundred persons are give this assistance depending on the availabilit of fund. Since the state Governmen are unable to provide enough funds fc this purpose because of their limited r sources, it is the duty of the centre t release enough funds for these schemes

Sir, when people become old, they ar looked upon as burden by their own sor and daughters and daughters-in-law They try every trick in their way to is late them, to drive them out of the family This is because, in their old age they ar unable to earn anything. Sir, they becom unwanted. The hon'ble Members, parti cularly women know, how aged mother

*English translation of the origin speech delivered in Tamil.

in law are treated by their daughter-in-law these days. This is the kind of society we live in.

[The VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): In the Chair]

Sir, it lies with the Government to remove this social problem. If the Government gives pension to these neglected persons, then, I feel, the situation might change. Their children and relations might accept them if they are given financial assistance.

(*Interruptions*)

Kulkarniji, if you don't unedrstand you can put on the head-phone.

Sir, it is miserable for an elderly person to know that he is being ignored by the society. What crime they have committed. All that they did was that out of love and affection they gave away all their savings and wealth to their children and relations. So, they need to be treated with honour. In foreign countries there are Old Age Homes to look after such persons. They are given free boarding and lodging for the rest of their life.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please conclude. There is a statement to be made by the hon'ble Prime Minister.

SHRI V. NARAYANASAMY: I will conclude in three, four Minutes, Sir.

The old persons in some foreign countries are given free Rail Passes and Bus Passes so that they can easily go to hospitals, libraries and other such places. They should be given such concessions here also. They should be provided free medical facilities. This is the duty of both centre and states.

When foreigners visit our country, they mock at the plight of old persons begging along the streets. This situation must change. The condition of widows is no better. Having lost her husband, a widow has to look after her children besides herself. When husband dies in misery without leaving any wealth or saving behind, his widow is in deep trouble. Without any financial assistance, She won't be able to feed her children and educate them. Life will become hell for her without any support. Therefore, Government should give sufficient financial assistance to the widows. Some State Governments give Rs. 60 per monh to the widows. This is not at all sufficient. So this Bill seeks to provide Rs. 300 per month.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You will conclude or continue?

SHRI V. NARAYANASAMY: I will continue it later, sir.

5.00 P.M.

STATEMENT BY PRIME MINISTER

PRIME MINISTER'S VISIT TO THE FEDERAL REPUBLC OF GERMANY

THE PRIME MINISTER (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): Mr. Vice-Chairman, Sir, I visited the Federal Republic of Germany from the 5th to 7th September 1991. This was essentially a goodwill visit, the main purpose of which was to inaugurate, alongwith Chancellor Helmut Kohl, the Festival of India in Germany. I took advantage of this occasion to exchange views with German leaders on a wide range of bilateral and international issues. During the visit, I called on President Richard Von Weizsaecker and Chancellor Helmut Kohl with whom I had more than an hour-long meeting. I also met Dr. Spranger, Minister for Economic Cooperation and Dr. Juergen Moellemann, Minister for Economics, and had discussions with them on Indo-German economic and commercial relations.

The other important features of the visit were a meeting with the Senior Executives of leading members of the German business community, and a luncheon meeting with Germean Ideologists. I met Members of the Indian community in Germany at a reception arranged by our Ambassador in Germany.

I acquainted my German interlocutors with the changes we have recently brought